अनुक्रमणिका

भाग - ए 3
जोखिम प्रबंधन 3
खंड I 3
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अतिरिक्त भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं 3
खंड II 34
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं 34
खंड III 42
प्राधिकृत व्यापारी के लिए सुविधाएं श्रेणी-I 42
भाग बी 46
अनिवासी बैंकों के खाते 46
भाग सी 49
अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन 49
भाग डी 53
रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट 53
अनुलग्नक I 56
अनुलग्नक II 59
अनुलग्नक III 62
अनुलग्नक IV 63
अनुलग्नक V....................64
अनुलग्नक VI 65
अनुलग्नक VII 66
अनुलग्नक VIII 67
अनुलग्नक IX 69
अनुलग्नक X 70
अनुलग्नक XI 71
अनुलग्नक XII 75
अनुलग्नक XIII 76
अनुलग्नक XIV 78

अनुलग्नक XV 79
अनुलग्नक XVI 80
अनुलग्नक XVII ……..80
अनुलग्नक XVIII ……..80
अनुलग्नक XIX ……..80
अनुलग्नक XX 80
परिशिष्ट 85

भाग - ए
जोखिम प्रबंधन

खंड I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अतिरिक्त भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत में रहनेवाले व्यक्तियों (एडी श्रेणी I बैंकों के अतिरिक्त) के लिए सुविधाओं को पैराग्राफ ए और बी में विस्तारपूर्वक दिया गया है। **पैराग्राफ ए** उत्पादों और संबंधित उत्पाद के परिचालन दिशानिर्देशों का वर्णन करता है। ए के तहत परिचालन दिशानिर्देशों के अतिरिक्त सभी उत्पादों पर लागू सामान्य निर्देश जो निवासियों (एडी श्रेणी I बैंकों के अतिरिक्त) के लिए हैं, **पैराग्राफ बी** के तहत विस्तारपूर्वक हैं।

ए. उत्पाद और परिचालन दिशानिर्देश

भारत में निवासी व्यक्तियों (एडी श्रेणी I बैंकों के अतिरिक्त) के लिए उत्पाद/उद्येश्य -वार सुविधाएं निम्नलिखित उपशीर्षों में विस्तारपूर्वक दी गई हैं:

1) अनुबंधित एक्सपोजर
2) संभावित एक्सपोजर
3) विशेष छूट

1) अनुबंधित एक्सपोजर

एडी श्रेणी I बैंकों को अंतर्निहित दस्तावेजों का साक्ष्य देखना होगा जिससे अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिम की मौजूदगी स्पष्ट रूप से स्थापित की जा सके। एडी श्रेणी I बैंकों को दस्तावेजी साक्ष्य के सत्यापन के माध्यम से, अंतर्निहित एक्सपोजर की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, चाहे लेन-देन चालू या पूंजी खाता का हो। अनुबंधों के पूर्ण विवरण को मूल दस्तावेजों पर उचित प्रमाणीकरण के तहत चिह्नित किया जाना चाहिए और सत्यापन के लिए रखा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मूल दस्तावेजों को जमा करना संभव नहीं है, उपयोगकर्ता के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मूल दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त की जा सकती है। दोनों मामलो में, अनुबंध करने से पहले, एडी श्रेणी I बैंकों को ग्राहक से एक वचनपत्र और सांविधिक लेखापरीक्षक से त्रैमासिक प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए (विवरण के लिए सामान्य निर्देशों के लिए पैरा बी (बी) देखें)। जबकि अंतर्निहित का विवरण संविदा की बुकिंग के समय दर्ज करना होगा, लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 दिनों की अवधि की अनुमति दी जा सकती है। यदि ग्राहक द्वारा 15 दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है, और विनिमय लाभ, यदि कोई हो तो ग्राहक को नहीं दिया जाना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक अवसरों पर 15 दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा दस्तावेजों को जमा न करने की स्थिति में, भविष्य में अनुमेय डेरिवेटिव अनुबंधों की बुकिंग की अनुमति अनुबंध बुकिंग के समय केवल अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण पर दी जा सकती है।

इस सुविधा के तहत उपलब्ध उत्पाद इस प्रकार हैं:

i) फॉरवर्ड विदेशी विनिमय संविदाएं

प्रतिभागी

बाजार निर्माता – एडी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

प्रयोजन

ए) लेनदेन के संबंध में विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए जिसके लिए फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा की बिक्री और/या खरीद की अनुमति है अथवा उसके तहत बनाए या जारी किए गए नियमों/विनियमों/निर्देशों/आदेशों के अनुसार है।

बी) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी और ऋण में) के बाजार मूल्य के संबंध में विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) को कवर करने वाली संविदाओं को रद्द किया अथवा देय तिथियों पर रोल ओवर किया जा सकता है।

ii) यदि ओडीआई के बाजार मूल्य के संकुचन (मूल्य उतार-चढ़ाव/हानि के कारण) के कारण हेज आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सामने आ जाता है, तो हेज को परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, यदि ग्राहक ऐसा चाहता है। देय तिथि पर रोलओवर की अनुमति उस तिथि के बाजार मूल्य के दायरे में होगी।

सी) आयात पर देय सीमा शुल्क के संबंध में आयातकों के आर्थिक (मुद्रा सूचकांक) एक्सपोजर को हेजिंग सहित विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत परंतु भारतीय रुपये में निपटान के विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

i) ऐसे लेनदेनों को कवर करने वाली फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाओं का परिपक्वता पर नकद निपटान किया जाएगा।

ii) एक बार रद्द किए जाने के उपरांत ये अनुबंध पुन: बुक किए जाने के योग्य नहीं हैं।

iii) फॉरवर्ड अनुबंधों के दिनांक के उपरांत सरकारी अधिसूचनाओं के कारण सीमा शुल्क की दर (दरों) में किसी भी बदलाव की स्थिति में, आयातकों को परिपक्वता से पहले अनुबंधों को रद्द करने और/अथवा पुन: बुक करने की अनुमति दी जा सकती है।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए देखे जाने वाले सामान्य सिद्धांत।

ए) हेज की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन मुद्रा की हेज और अवधि ग्राहक पर छोड़ी जाती है। जहां हेज मुद्रा अंतर्निहित एक्सपोजर मुद्रा से भिन्न है, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट की जोखिम प्रबंधन नीति में इस प्रकार की हेजिंग की अनुमति होनी चाहिए।

बी) जहां अंतर्निहित लेनदेन की सही राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां अनुबंध को उचित अनुमानों के आधार पर बुक किया जा सकता है। तथापि, अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

सी) विदेशी मुद्रा ऋण/बांड केवल रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन दिए जाने के बाद ही हेज के लिए पात्र होंगे, जहां ऐसी स्वीकृति आवश्यक है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण संख्या आवंटित की गई है।

डी) वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर)/अमेरिकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर) तभी हेज के लिए पात्र होंगी जब निर्गम की कीमत को अंतिम रूप दे दिया गया हो।

ई) खाताधारकों द्वारा बेचे गए फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों में शेष राशि सुपुर्दगी के लिए निर्धारित रहेगी और ऐसे अनुबंधों को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि, परिपक्वता पर वह रोलओवर के लिए पात्र हैं।

एफ) सभी गैर-आईएनआर फॉरवर्ड अनुबंधों को नीचे दी गई शर्त (एच) के अनुसार रद्दीकरण पर फिर से बुक किया जा सकता है। अंतर्निहित एक्सपोजर के प्रकार और अवधि पर ध्यान दिए बिना निवासियों द्वारा बुक किए गए फॉरवर्ड अनुबंधों को एक बार रद्द करने के बाद दोबारा बुक नहीं किया जा सकता है।

जी) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पूंजी खाता लेनदेन को हेज करने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई फॉरवर्ड संविदाओं के मामले में, जिसमें रुपया एक मुद्रा के रूप में शामिल है, यदि एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ रद्द किया जाता है, तो अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ फिर से बुक किया जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन हों:

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जिसके साथ अनुबंध मूल रूप से बुक किया गया था, उसके साथ बैंकिंग संबंध समाप्त होने के कारण प्रस्ताव पर प्रतिस्पर्धी दरों से स्विच की वारंटी है;

(ii) रद्दीकरण और पुनः बुकिंग अनुबंध की परिपक्वता तिथि पर साथ-साथ की जाती है; और

(iii) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, कि मूल अनुबंध रद्द कर दिया गया है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की है जो अनुबंध की पुनः बुकिंग करता है।

एच) पुन: बुकिंग की सुविधा की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कॉर्पोरेट ने निर्धारित अनुबंध V में जोखिम जानकारी प्रस्तुत नहीं की हो।

आई) हेजिंग व्यापार लेनदेनों के लिए अनुबंधों के प्रतिस्थापन की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंक द्वारा उन परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर दी जा सकती है जिनके तहत ऐसी प्रतिस्थापन आवश्यक हो गयी है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रतिस्थापित अंतर्निहित राशि और अवधि का भी सत्यापन कर सकते हैं।

ii) पारस्परिक मुद्रा विकल्प (रुपया शामिल नहीं है)

प्रतिभागी

बाजार निर्माता- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

प्रयोजन

ए) व्यापार लेनदेन से उत्पन्न विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।
बी) विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल प्लेन वैनिला यूरोपीय विकल्प[1] का प्रस्ताव कर सकते हैं।[1]
बी) ग्राहक कॉल या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं।
सी) इन लेनदेनों को अंतर्निहित सत्यापन के अधीन मुक्त रूप से बुक और/या रद्द किया जा सकता है।
डी) पारस्परिक मुद्रा फारवर्ड अनुबंध के लिए लागू सभी दिशानिर्देश पारस्परिक मुद्रा विकल्प अनुबंध पर भी लागू होते हैं।
ई) पारस्परिक मुद्रा विकल्प पूरी तरह से कवर किए गए बैक-टू-बैक आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा लिखे जाने चाहिए। भारत के बाहर किसी बैंक, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपतटीय बैंकिंग इकाई अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विकल्प एक्सचेंज अथवा भारत में किसी अन्य एडी श्रेणी I बैंक के साथ कवर लेनदेन किया जा सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंको को विकल्प राइट के इच्छुक कारोबार से पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग 5वीं मंजिल, मुंबई, 400001 से एकबारगी अनुमोदन व्यापार हेतु प्राप्त किया जाना चाहिए।

iii) विदेशी मुद्रा - आईएनआर विकल्प

प्रतिभागी

बाजार निर्माता- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जैसाकि इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है।
उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

प्रयोजन

ए) समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.फेमा 25/2000-आरबी, दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची I के अनुसार विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए।
बी) विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत करने से उत्पन्न होनेवाली आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिनका न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत है, बैक-टू-बैक आधार पर विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
बी) वर्तमान में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल प्लेन वैनिला यूरोपीय विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

---

[1] एक यूरोपीय विकल्प का प्रयोग केवल विकल्प की समाप्ति तिथि पर किया जा सकता है, अर्थात एक पूर्व-निर्धारित समय बिंदु पर।

सी) ग्राहक कॉल या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं।
डी) विदेशी मुद्रा-आईएनआर विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंधों के लिए लागू सभी दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प अनुबंधों पर भी लागू होते हैं।
ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिनके पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी/प्रबंधन प्रणाली, मार्क टू मार्केट (बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करना) तंत्र आदि हैं, उन्हें शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन पर विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प बुक चलाने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जो विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प बुक चलाने के इच्छुक हैं और न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे नीचे सूचीबद्ध, सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/जोखिम समिति/एएलसीओ) से अनुमोदन की प्रतियों, इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन, विकल्प राइट के प्रकार और अनुमत सीमा के लिए बोर्ड की विशिष्ट स्वीकृति के साथ रिज़र्व बैंक में आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड को प्रस्तुत ज्ञापन में अन्य मामलों के साथ-साथ नकारात्मक जोखिमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
न्यूनतम पात्रता मानदंड:

i. निवल मालियत 300 करोड़ रुपये से कम नहीं
ii. सीआरएआर 10 प्रतिशत
iii. निवल एनपीए निवल अग्रिमों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं
iv. कम से कम तीन वर्षों के लिए निरंतर लाभप्रदता

रिज़र्व बैंक आवेदन पर विचार करेगा और अपने विवेकानुसार एकबारगी अनुमोदन प्रदान करेगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमाओं के भीतर विकल्प पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाती है।
एफ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक विकल्प प्रीमियम को रुपए में या रुपए/विदेशी मुद्रा नोशनल के प्रतिशत के रूप में कोट कर सकते हैं।
जी) विकल्प संविदाओं का निपटान परिपक्वता पर अथवा स्पाट आधार पर सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है अथवा संविदा में विनिर्दिष्ट अनुसार स्पाट आधार पर रुपयों में निवल नकद निपटान द्वारा किया जा सकता है। परिपक्वता से पहले किसी लेन-देन को समाप्त करने के मामले में, अनुबंध एक समान ऑफ़-सेटिंग विकल्प के बाजार मूल्य के आधार पर नकद निपटान पर किया जा सकता है।
एच) बाजार निर्माताओं को स्पाट और फॉरवर्ड बाजारों तक पहुंच बनाकर अपने विकल्प पोर्टफोलियो के 'डेल्टा' को हेज करने की अनुमति है। अंतर-बैंक बाजार में विकल्प लेनदेन में प्रवेश करके अन्य 'ग्रीक' को हेज किया जा सकता है।
आई) विकल्प संविदा का 'डेल्टा' ओवरनाइट ओपन पोजीशन का हिस्सा होगा।
जे) एजीएल के उद्येश्य के लिए प्रत्येक परिपक्वता के अंत में 'डेल्टा' के बराबर को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक बकाया विकल्प अनुबंध की रेसीड्यूल परिपक्वता (जीवन) को विभिन्न परिपक्वता बकेट के तहत समूहीकरण के प्रयोजन के आधार के रूप में लिया जा सकता है।

के) ऑप्शन बुक चलाने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प में बाजार निर्माताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए प्लेन वैनिला पारस्परिक मुद्रा विकल्प पोजीशन शुरू करने की अनुमति है।

एल) बैंकों को दैनिक आधार पर पोर्टफोलियो को मार्किंग टू मार्किट करने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए। फेडाई पोल किए गए अंतर्निहित अस्थिरता अनुमानों का एक मैट्रिक्स दैनिक रूप से प्रकाशित करेगा, जिसका उपयोग बाजार प्रतिभागी अपने पोर्टफोलियो को मार्किंग टू मार्केट करने के लिए कर सकते हैं।

एम) विकल्प अनुबंधों के लिए लेखांकन फ्रेमवर्क फेडाई के दिनांक 29 मई, 2003 के परिपत्र संख्या एसपीएल-24/एफसी-रूपी ऑप्शन/2003 के अनुसार होगा।

iv) विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप

प्रतिभागी

बाजार निर्माता- भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता –

i. विदेशी मुद्रा देनदारी रखने वाले और विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप करने वाले निवासी विदेशी मुद्रा देयता से रुपए देयता में जाने के लिए।

ii. रुपये की देनदारी वाली ऐसी निगमित निवासी संस्थाएं जो रुपये की देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाने के लिए कुछ न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के अधीन जैसेकि जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्राकृतिक बचाव या आर्थिक एक्सपोजर आईएनआर - विदेशी मुद्रा स्वैप करती हैं। प्राकृतिक हेज अथवा आर्थिक एक्सपोजर के अभाव में, आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वैप (रुपये की देनदारी से विदेशी मुद्रा देयता में जाने के लिए) को सूचीबद्ध कंपनियों या गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम 200 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एडी श्रेणी I बैंक को स्वैप की उपयुक्तता तथा उपयुक्तता की जांच करने और कॉर्पोरेट की वित्तीय सुदृढता के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता है।

प्रयोजन

लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधार लेने वालों के लिए या लंबी-अवधि के आईएनआर उधार को विदेशी मुद्रा देयता में बदलने के लिए विनिमय दर जोखिम तथा/या ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) किसी भी रूप में रुपये अथवा इसके समकक्ष के प्रारंभिक भुगतान से जुड़े कोई स्वैप लेनदेन नहीं किए जाएंगे।

बी) "दीर्घावधि एक्सपोजर" का आशय है एक वर्ष अथवा उससे अधिक की रेसीड्यूल परिपक्वता वाले एक्सपोजर से है।

सी) स्वैप लेनदेन, एक बार रद्द होने के बाद, किसी भी तंत्र या किसी भी नाम से, फिर से बुक या फिर से दर्ज नहीं किया जाएगा।

डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को लीवरेज्ड स्वैप संरचना की पेशकश नहीं करनी चाहिए। विशिष्ट रूप से, लीवरेज्ड स्वैप संरचनाओं में, एकीकरण के अतिरिक्त एक गुणक कारक बेंचमार्क दर(ओं) से जुड़ा होता है, जो इस तरह के कारक की अनुपस्थिति में देय अथवा प्राप्य को स्थिति अनुसार बदल देता है।

ई) अदला-बदली की नोशनल मूल राशि अंतर्निहित ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एफ) स्वैप की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की शेष परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v) लागत में कमी की संरचनाएं अर्थात पारस्परिक मुद्रा विकल्प लागत में कमी की संरचना और विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प लागत में कमी की संरचना।

प्रतिभागी

बाजार निर्माता- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता – सूचीबद्ध कंपनियाँ और उनकी सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी जिनका साझा खजाना और समेकित तुलन पत्र है अथवा वे असूचीबद्ध कंपनियाँ जिनकी न्यूनतम निवल संपत्ति रु 200 करोड़ है।

बशर्ते

ए) ऐसे सभी उत्पाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के होते हैं;

बी) कंपनियां ऐसे उत्पादों/अनुबंधों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अन्य लागू दिशानिर्देशों का पालन करती हैं, साथ ही विवेक के सिद्धांत का भी पालन करती हैं, जिसके लिए अपेक्षित नुकसान की पहचान और अप्राप्त अभिलाभ की गणना न किया जाना आवश्यक है।

सी) 02 दिसंबर 2005 दिनांकित आईसीएआई की प्रेस विज्ञप्ति में निर्धारित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किए गए हैं; और

डी) कंपनियों के पास नीति में एक विशिष्ट खंड के साथ एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो लागत में कमी लाने संबंधी संरचनाओं के प्रकार/रों का उपयोग करने की अनुमति देती है।

(टिप्पणी: उपरोक्त लेखांकन प्रतिपादन एएस 30/32 या समकक्ष मानकों को अधिसूचित किए जाने तक एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है।)"

प्रयोजन

व्यापार लेनदेन और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से उत्पन्न विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) उपयोगकर्ताओं द्वारा स्टैंडअलोन आधार पर ऑप्शंस राइटिंग की अनुमति नहीं है।

बी) उपयोगकर्ता प्लेन वैनिला यूरोपीय ऑप्शंस की एक साथ खरीद और बिक्री की रणनीतियों में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रीमियम की कोई निवल प्राप्ति न हो।

सी) लिवरेज संरचनाएं, डिजिटल ऑप्शंस, बाधा ऑप्शंस, सीमा संचय और किसी भी अन्य एक्ज़ोटिक उत्पादों की अनुमति नहीं है।

डी) संरचना के सबसे बड़े आनुमानिक हिस्से के साथ, संरचना के कार्यकाल पर की गई गणना, अंतर्निहित प्रयोजन के लिए गणना की जानी चाहिए।

ई) टर्म शीट में ऑप्शंस के डेल्टा को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकते हैं, जैसेकि निरंतर लाभप्रदता, उच्च निवल मालियत, टर्नओवर, आदि जोकि विदेशी मुद्रा संचालन के पैमाने और उपयोगकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करता है।

जी) हेज की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसी के अंतर्गत उपयोगकर्ता हेज की अवधि चुन सकते हैं। व्यापार लेनदेन के अंतर्निहित होने के मामले में, संरचना का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा।

एच) उपयोगकर्ताओं को एमटीएम की स्थिति के बारे में समय-समय पर सूचित किया जाना चाहिए।

vi) विदेशी मुद्रा में उधार की हेजिंग, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार है।

उत्पाद - ब्याज दर स्वैप, पारस्परिक मुद्रा स्वैप, कूपन स्वैप, पारस्परिक मुद्रा ऑप्शंस, ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद), वायदा दर करार (एफआरए)

प्रतिभागी

बाज़ार निर्माता -

ए) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

बी) भारत में विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत भारतीय बैंक की भारत के बाहर शाखा

सी) भारत में एक एसईजेड में अपतटीय बैंकिंग इकाई।

उपयोगकर्ता –

भारत में निवासी व्यक्ति जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार ली है।

प्रयोजन

ऋण एक्सपोजर पर ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम की हेजिंग और ऐसे हेज से मोचन के लिए

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्पादों में किसी भी परिस्थिति में रुपया शामिल नहीं होना चाहिए।

बी) रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम स्वीकृति अथवा ऋण पंजीकरण संख्या विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए आवंटित की गई हो।

सी) उत्पाद की नोशनल मूल राशि विदेशी मुद्रा ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डी) उत्पाद की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की समाप्त नहीं हुई परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से रद्द और फिर से बुक किया जा सकता है।

2) पिछले प्रदर्शन के आधार पर संभावित जोखिम

प्रतिभागी

बाज़ार निर्माता - भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता - वस्तुओं और सेवाओं के आयातक और निर्यातक

प्रयोजन

एक्सपोजर की घोषणा के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के औसत वास्तविक आयात/निर्यात कुल कारोबार के निष्पादन अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात कुल कारोबार, जो भी अधिक है, इसके आधार पर मुद्रा जोखिम को हेज करना। पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर संभावित एक्सपोजर की हेजिंग केवल पण्य वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के संबंध में ही की जा सकती है।

उत्पाद

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदा, पारस्परिक मुद्रा ऑप्शंस (रुपया शामिल नहीं है), विदेशी मुद्रा -आईएनआर ऑप्शन और लागत कटौती संरचना (कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रक्चर) [जैसाकि खंड बी पैरा I 1(v) में दिया गया है]।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) ऐसे कॉरपोरेट जिनके पास 200 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत तथा 1000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक निर्यात और आयात का कुल कारोबार हो और खंड बी पैरा I 1(v) में निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों, उन्हें लागत कटौती संरचना (कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रक्चर) की अनुमति दी जा सकती है।

बी) चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान बुक किए गए अनुबंध और किसी भी समय के बकाया अनुबंध निम्नलिखित से अधिक नहीं होने चाहिए

• पात्र सीमा अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कुल वास्तविक निर्यात कारोबार का औसत अथवा पिछले वर्ष का कुल वास्तविक निर्यात कारोबार, जो भी निर्यात के लिए अधिक हो।

• पात्र सीमा का पच्चीस प्रतिशत अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कुल वास्तविक आयात कारोबार का औसत अथवा पिछले वर्ष का कुल वास्तविक आयात कारोबार, जो भी आयात के लिए अधिक हो। ऐसे आयातकों के मामले में जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 16 दिसंबर 2011 को संशोधित/कम की गई सीमा से अधिक उपयोग कर लिया है उन्हें इस सुविधा के अंतर्गत आगे किसी बुकिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सी) इस सुविधा के तहत निर्यातकों और आयातकों, दोनों, द्वारा बुक किए गए सभी वायदा अनुबंध अब से (अर्थात् 16 दिसंबर 2011 से) पूरी तरह से सुपुर्दगी आधार पर होंगे। रद्दीकरण के मामले में, विनिमय लाभ, यदि कोई हो, ग्राहक को नहीं दिया जाना है।

डी) इन सीमाओं की गणना आयात/निर्यात लेनदेनों के लिए अलग से की जाए।

ई) विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने पर मामला-दर-मामला के आधार पर उच्च सीमा की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त सीमाएं, यदि होंगी, तो सुपुर्दगी के आधार पर मंजूर की जाती हैं।

एफ) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना किए गए किसी भी अनुबंध को इस सीमा के विरुद्ध चिह्नित किया जाएगा। एक बार रद्द किए जाने के बाद ये अनुबंध फिर से किए जाने के योग्य नहीं हैं। रोलओवर की भी अनुमति नहीं है।

जी) एडी बैंक अपने ग्राहकों को केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद ही पिछली निष्पादन सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दें:

i. ग्राहक से एक वचन लिया जा सकता है कि किए गए सभी अनुबंधों की परिपक्वता से पहले सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

ii. आयातकों और निर्यातकों को अनुबंध VI के अनुसार इस सुविधा के तहत अन्य एडी श्रेणी I के बैंकों के पास बुक की गई राशि के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित एडी श्रेणी I के बैंकों को तिमाही घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iii. एक निर्यातक ग्राहक को इस सुविधा के लिए पात्र होने हेतु उनके अतिदेय बिलों की कुल राशि को कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच के बाद अपने ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में संतुष्ट होने पर एडी श्रेणी I बैंक द्वारा पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक के कुल बकाया अनुबंधों की अनुमति दी जा सकती है:

• ग्राहक के सांविधिक लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

• अनुबंध VII में दिए गए प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहक के आयात/निर्यात कारोबार का प्रमाण पत्र जो कि उनके सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित है।

एच) एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद, अनुबंधों के रद्द किए जाने अथवा उनकी परिपक्वता पर, पिछली प्रदर्शन सीमाएं फिर से बहाल नहीं होंगी।

आई) एडी श्रेणी 1 बैंकों को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, पिछली प्रदर्शन सीमाओं पर आ जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लेखापरीक्षित आंकड़े (पिछले वर्ष) तैयार करने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि, यदि पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से तीन माह के भीतर विवरणियाँ जमा नहीं की जाती हैं तो आलेखित आंकड़ों के जमा न हो जाने तक सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

जे) एडी श्रेणी 1 बैंकों को पूर्व-सौदा चरण पर पिछली प्रदर्शन सीमाओं की पुष्टि करने के लिए उचित प्रणालियों की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्राहक घोषणाओं के अलावा एडी श्रेणी I बैंकों को ग्राहकों के साथ पिछले लेनदेन, टर्नओवर आदि का भी आकलन करना चाहिए।

के) एडी श्रेणी I बैंकों को अनुबंध X में निर्धारित इस सुविधा के तहत उनके ग्राहकों द्वारा उनको प्रदान की गई और उपयोग की गई सीमाओं पर एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करनी होगी।

3) विशेष छूट

i) छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) सहभागी

बाजार निर्माता- एडी श्रेणी I

उपयोगकर्ता - लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)[2]

प्०रयोजन

विदेशी मुद्रा जोखिम के संबंध में एसएमई के प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष जोखिम को हेज करने के लिए

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा अनुबंध

परिचालनगत दिशानिर्देश: विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एकपोज़र रखने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, वायदा अनुबंधों को, उनके एक्सपोज़र का प्रभावी-प्रबंध करने वाले बुनियादी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किए बिना, बुक/रद्द/पुनर्समझौता करने की अनुमति है:

ए) ऐसे अनुबंध इसके अलावा एडी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं जिनके पास एसएमई को क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और किए गए कुल वायदा अनुबंध उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं या उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं अथवा पूंजीगत व्यय के लिए उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के अनुरूप होने चाहिए।

बी) एडी श्रेणी I बैंक, दिनांक 2 नवंबर 2011 के डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी 44/21.04.157/2011-12 द्वारा जारी 'डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशानिर्देश' के पैरा 8.3 के अनुसार, एसएमई ग्राहकों के लिए वायदा अनुबंधों की "उपयोगकर्ता उपयुक्तता" और "उपयुक्तता" के संबंध में समुचित सावधानी बरतें।

---

[2] भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण योजना एवं ऋण विकास विभाग द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2007 के परिपत्र सं.आरपीसीडी.पीएलएनएस.बीसी.सं.63/06.02.31/2006-07 के अनुसार परिभाषित एसएमई

सी) इस सुविधा का लाभ उठाने वाले एसएमई को इस सुविधा के तहत अन्य एडी श्रेणी I बैंकों के साथ पहले से किए गए वायदा अनुबंधों की राशि, यदि कोई हो, के संबंध में एडीश्रेणी I बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) सहभागी निवासी व्यक्ति

बाजार निर्माता – एडी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता: निवासी व्यक्ति

प्रयोजन

आवक और जावक दोनों तरह के वास्तविक या प्रत्याशित विप्रेषणों से उत्पन्न होने वाले अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए, स्व-घोषणा के आधार पर, बुनियादी दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना, यूएसडी 100,000 की सीमा तक का वायदा अनुबंध बुक कर सकते हैं।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा अनुबंध

परिचालनगत दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) इस सुविधा के तहत किए गए अनुबंध सामान्य रूप से सुपुर्दगी के आधार पर होंगे। हालांकि, नकदी प्रवाह या अन्य आकस्मिकताओं में असंतुलन के मामले में, इस सुविधा के तहत बुक किए गए अनुबंधों को रद्द करने और फिर से बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। बकाया अनुबंधों का नोशनल मूल्य किसी भी समय 100,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए।

बी) अनुबंधों को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए बुक करने की अनुमति दी जा सकती है।

सी) अनुबंध XIV में दिए गए प्रारूप में आवेदन सह-घोषणा के आधार पर ऐसे अनुबंध एडी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं जिनके साथ निवासी व्यक्ति का बैंकिंग संबंध है। एडी श्रेणी I बैंकों को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि निवासी व्यक्ति वायदा अनुबंधों की बुकिंग में निहित जोखिम की प्रकृति को समझते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए वायदा अनुबंधों की "उपयोगकर्ता उपयुक्तता" और "उपयुक्तता" के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

बी. भारत में निवासियों द्वारा दर्ज ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए सामान्य निर्देश

जहां ऊपर बताए गए दिशानिर्देश विशिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव को नियंत्रित करते हैं, वहीं ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण सरोकारों के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत और रक्षोपाय नीचे दिए गए हैं। विशिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पाद के तहत दिशानिर्देशों के अलावा, सामान्य निर्देशों

का उपयोगकर्ताओं (एडी श्रेणी I बैंकों के अलावा भारत में निवासी) और बाजार निर्माताओं (एडी श्रेणी I बैंकों) द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

ए) सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में [आईएनआर- विदेशी मुद्रा स्वैप को छोड़कर यानी धारा बी पैरा I(1)(iv) के अनुसार आईएनआर देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाना], एडी श्रेणी I बैंकों को ग्राहकों से एक घोषणा पत्र लेना चाहिए कि एक्स्पोज़र-हेजिंग नहीं की गई है और इसे किसी अन्य एडीश्रेणी I बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है। कॉरपोरेट्स को एडी श्रेणी I बैंक को यह प्रमाणित करते हुए एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रदान करना चाहिए कि डेरिवेटिव लेनदेन अधिकृत हैं और बोर्ड (या साझेदारी या मालिकाना फर्मों के मामले में समकक्ष फोरम) इस विषय से परिचित हैं।

बी) अनुबंधित एक्स्पोज़र के मामले में एडी श्रेणी I बैंकों को निम्नलिखित प्राप्त करना होगा:

i) ग्राहक से एक वचन पत्र कि उसी अंतर्निहित जोखिम को किसी अन्य एडी श्रेणी I बैंक/बैंकों के साथ शामिल नहीं किया गया है। जहां एक से अधिक एडी श्रेणी I बैंक के साथ एक ही जोखिम की हिस्सों में हेजिंग की जाती है, वहां अन्य एडी श्रेणी I बैंक/बैंकों के पास पहले से बुक की गई राशि का विवरण घोषणा में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। यह वचन, सौदे की पुष्टि के एक भाग के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है।

ii) उपयोगकर्ताओं के सांविधिक लेखापरीक्षकों से तिमाही प्रमाणपत्र, यह प्रमाणित करते हुए कि तिमाही के दौरान सभी एडी श्रेणी I बैंकों के साथ किसी भी समय बकाया अनुबंध अंतर्निहित जोखिम के मूल्य से अधिक नहीं थे।

सी) व्युत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, आईएनआर- विदेशी मुद्रा स्वैप के मामले में, शुरुआत में, मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए एक बार प्लेन-वैनिला-क्रॉस-मुद्रा-ऑप्शन (रुपया शामिल नहीं) में उपयोगकर्ता प्रवेश कर सकता है।

डी) किसी भी डेरिवेटिव अनुबंध में, नोशनल राशि, किसी भी समय वास्तविक अंतर्निहित जोखिम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डेरिवेटिव अनुबंधों की अवधि अंतर्निहित जोखिम की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण लेन-देन के लिए उसकी पूरी अवधि के लिए कल्पित राशि की गणना की जानी चाहिए और अंतर्निहित जोखिम को डेरिवेटिव अनुबंध की कल्पित राशि के अनुरूप होना चाहिए।

ई) एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष जोखिम/उसके हिस्से के लिए केवल एक हेज लेनदेन बुक किया जा सकता है।

एफ़) डेरिवेटिव लेनदेनों (वायदा अनुबंधों को छोड़कर) के लिए अवधि तुलन-पत्र में निम्नलिखित का अनिवार्य रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए:

i) लेन-देन के उद्देश्य का विवरण देना कि कैसे उत्पाद और इसके प्रत्येक घटक ग्राहक को हेजिंग में मदद करते हैं;

ii) लेन-देन के निष्पादन के समय प्रचलित हाजिर-दर; और

iii) विभिन्न परिदृश्यों में अधिकतम नुकसान/सबसे खराब गिरावट की मात्रा।

जी) एडी श्रेणी I बैंक केवल उन्हीं उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं जिनकी वे स्वतंत्र रूप से कीमत तय कर सकते हैं। यह दोतरफा आधार पर पेश किए गए उत्पादों पर भी लागू होता है। सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों का मूल्य हर समय स्थानीय रूप से प्रदर्शन योग्य होना चाहिए।

एच) बाजार निर्माताओं को दिनांक 2 नवंबर 2011 के डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी44/21.04.157/2011-12 में दिए गए विवरण के अनुसार उपयोगकर्ताओं को डेरिवेटिव उत्पाद (वायदा अनुबंधों को छोड़कर) पेश करने से पहले उत्पादों की 'उपयोगकर्ता उपयुक्तता' और 'उपयुक्तता' के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

आई) एडी श्रेणी I उपयोगकर्ता के साथ विभिन्न परिदृश्य विश्लेषण साझा कर सकता है जिसमें उत्पाद को प्रभावित करने वाले विभिन्न बाजार मापदंडों की पहचान करने वाले संभावित सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों शामिल हैं।

जे) दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी 86/21.04.157/2006-07 द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित किए गए डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देशों के प्रावधान भी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर लागू होते हैं।

के) बैंकों के बीच डेरिवेटिव पर जानकारी, जैसा कि 19 सितंबर 2008 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.46/08.12.001/2008-09 और दिनांक 8 दिसंबर 2008 का परिपत्रडीबीओडी.सं.बीपी.बीसी./08.12.001/2008-09 में वर्णित है, साझा करना अनिवार्य है।

4. मान्यता प्राप्त स्टॉक/नए एक्सचेंजों पर करेंसी फ्यूचर्स

भारत में डेरिवेटिव बाजार को और विकसित करने और निवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा हेजिंग उपकरणों की मौजूदा विकल्प-सूची में जोड़ने के लिए, मुद्रा वायदा अनुबंधों को देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नए एक्सचेंजों में कारोबार करने की अनुमति दी गई है। करेंसी फ्यूचर्स बाजार समय-समय पर रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा जारी निर्देशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों के अधीन कार्य करेगा।

भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भारतीय करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग लेने की अनुमति है, जो करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2008 [अधिसूचना संख्या FED.1/DG(SG)-2008 दिनांक 6 अगस्त,

2008] (दिशा-निर्देश) में निहित निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत दिनांक 19 जनवरी 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ़ईडी.2/ईडी (एचआरके)-2009 के अधीन है।

करेंसी फ्यूचर्स निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

अनुमति

(i) अमेरिकी डॉलर (यूएसडी), भारतीय रुपया (आईएनआर), यूरो (ईयूआर)-आईएनआर, जापानी येन (जेपीवाई)-आईएनआर और पाउंड स्टर्लिंग (जीबीपी)-आईएनआर में करेंसी फ्यूचर्स की अनुमति है।

(ii) केवल 'भारत में रहने वाले व्यक्ति' ही विदेशी विनिमय दर जोखिम या अन्यथा के जोखिम को हेज करने के लिए मुद्रा वायदा अनुबंधों को खरीद या बेच सकते हैं।

करेंसी फ्यूचर्स की विशेषताएं

मानकीकृत करेंसी फ्यूचर्स में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

ए. यूएसडी-आईएनआर, ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर और जेपीवाई-आईएनआर अनुबंधों के क्रय-विक्रय की अनुमति है।

बी. प्रत्येक अनुबंध का आकार यूएसडी-आईएनआर अनुबंधों के लिए 1000 यूएसडी, यूरो-आईएनआर अनुबंधों के लिए 1000 यूरो, जीबीपी-आईएनआर अनुबंधों के लिए 1000 जीबीपी और जेपीवाई-आईएनआर अनुबंधों के लिए 100,000 जेपीवाई होगा।

सी. अनुबंधों को भारतीय रुपये में दर्शाया और निपटान किया जाएगा।

डी. अनुबंधों की परिपक्वता 12 महीने से अधिक नहीं होगी।

ई. यूएसडी-आईएनआर और यूरो-आईएनआर अनुबंधों के लिए निपटान मूल्य रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें होंगी और जीबीपी-आईएनआर और जेपीवाई-आईएनआर अनुबंधों के लिए निपटान मूल्य अंतिम ट्रेडिंग दिवस पर रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित विनिमय दरें होंगी।

सदस्यता

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के करेंसी फ्यूचर्स मार्केट की सदस्यता इक्विटी डेरिवेटिव खंड या नकदी-खंड की सदस्यता से अलग होगी। करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग और समाशोधन दोनों के लिए सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत 'एडी श्रेणी-I बैंक' के रूप में अधिकृत बैंकों को, स्वयं के लिए और उनके ग्राहकों की ओर से, न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के की शर्त पर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के करेंसी फ्यूचर्स बाजार के व्यापारिक और समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है।

(iii) उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले एडी श्रेणी-I बैंक और ऐसे एडी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, केवल ग्राहक के रूप में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भाग ले सकते हैं, जो कि, अतएव रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों से अनुमोदन के अधीन है।

पोजीशन-सीमाएं

i. करेंसी फ्यूचर्स बाजार में प्रतिभागियों के विभिन्न वर्गों के लिए पोजीशन-सीमाएं सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगी।

ii. एडी श्रेणी-I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे नेट ओपन पोजीशन(एनओपी) और एग्रीगेट गैप(एजी) सीमाओं, के भीतर परिचालन करेंगे। करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में अपने खाते में बैंकों का एक्स्पोज़र उनकी एनओपी और एजी सीमाओं का हिस्सा होगा।

जोखिम प्रबंधन के उपाय

करेंसी फ्यूचर्स का व्यापार प्रारंभिक, अत्यधिक नुकसान और कैलेंडर-स्प्रेड-मार्जिन को बनाए रखने के अधीन होगा। एक्सचेंज के समाशोधन निगमों / समाशोधन गृहों को सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा इस तरह के मार्जिन रखे जाने को सुनिश्चित करना होगा।

निगरानी और प्रकटीकरण

करेंसी फ्यूचर्स बाजार में लेन-देन की निगरानी और प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज / समाशोधन निगमों को प्राधिकार

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उनके संबंधित समाशोधन निगम / समाशोधन गृह, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार की धारिता के बिना करेंसी फ़्यूचर्स से संबंधित कोई कार्य अन्यथा कारोबार नहीं करेंगे।

5. मान्यता-प्राप्त स्टॉक/नए एक्सचेंज पर करेंसी ऑप्शन

निवासियों को उपलब्ध एक्सचेंज-ट्रेडेड-हेजिंग उपकरणों के मौजूदा मेन्यू को बढ़ाने देने के लिए प्लेन वनिला करेंसी ऑप्शंस अनुबंधों को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त, स्टॉक एक्सचेंज अथवा नए एक्सचेंज में क्रय-विक्रय करने की अनुमति दी गई है।

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

अनुमति

(i) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस अनुबंध यूएस डॉलर (यूएसडी) - भारतीय रुपया (आईएनआर) में अनुमत हैं।

(ii) केवल 'भारत में रहने वाले व्यक्ति' ही विदेशी विनिमय दर जोखिम या अन्यथा के जोखिम को हेज करने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प अनुबंधों को खरीद या बेच सकते हैं।

एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा ऑप्शंस की विशेषताएं

मानकीकृत एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा ऑप्शंस में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

ए) मुद्रा ऑप्शंस के लिए आधार यूएस डॉलर - भारतीय रुपया (यूएसडी-आईएनआर) हाजिर-दर होगा।

बी) ऑप्शंस, प्रीमियम शैली के यूरोपीय क्रय-विक्रय ऑप्शंस होंगे।

सी) प्रत्येक अनुबंध का आकार 1000 अमेरिकी डॉलर होगा।

डी) प्रीमियम को रुपए में दर्शाया जाएगा। बकाया पोजीशन यूएसडी में होगी।

ई) अनुबंधों की परिपक्वता बारह महीने से अधिक नहीं होगी।

एफ) अनुबंधों का निपटान भारतीय रुपए में नकद में किया जाएगा।

जी) अनुबंधों की समाप्ति की तारीख पर रिज़र्व बैंक का जो संदर्भ दर होगा वही निपटान मूल्य होगा।

सदस्यता

i) करेंसी फ्यूचर्स बाजार में व्यापार के लिए सेबी के साथ पंजीकृत सदस्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा ऑप्शंस बाजार में व्यापार करने के पात्र होंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग और क्लियरिंग दोनों के लिए सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत 'एडी श्रेणी-I बैंक' के रूप में अधिकृत बैंकों को, अपने लिए और अपने ग्राहकों की ओर से, निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण

आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस बाजार के व्यापार और समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है:

ए) न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की निवल मालियत।

बी) न्यूनतम 10 प्रतिशत सीआरएआर।

सी) निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

डी) पिछले 3 वर्षों में हुआ शुद्ध लाभ हो।

एडी श्रेणी-I बैंक, जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, को एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प अनुबंधों के व्यापार, समाशोधन और जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन के साथ विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

(iii) उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले एडी श्रेणी-I बैंक और ऐसे एडी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, केवल ग्राहक के रूप में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भाग ले सकते हैं, जो कि, अतएव रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों से अनुमोदन के अधीन हैं।

स्थितिगत-सीमाएं (पोजीशन लिमिट्स)

i) करेंसी ऑप्शंस में प्रतिभागियों के विभिन्न वर्गों के लिए पोजीशन-सीमाएं सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगी।

ii) एडी श्रेणी-I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे नेट ओपन पोजीशन(एनओपी) और एग्रीगेट गैप(एजी) सीमाओं, के भीतर परिचालन करेंगे। करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में अपने खाते में बैंकों का एक्स्पोज़र उनकी एनओपी और एजी सीमाओं का हिस्सा होगा।

जोखिम प्रबंधन के उपाय

करेंसी फ्यूचर्स का व्यापार प्रारंभिक, अत्यधिक नुकसान और कैलेंडर-स्प्रेड-मार्जिन को बनाए रखने के अधीन होगा । एक्सचेंज के समाशोधन निगमों / समाशोधन गृहों को सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा इस तरह का मार्जिन रखे जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

निगरानी और प्रकटीकरण

करेंसी फ्यूचर्स बाजार में लेन-देन की निगरानी और प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

करेंसी ऑप्शंस में लेनदेन के लिए/ समाशोधन निगमों को प्राधिकार

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उनके संबंधित समाशोधन निगम / समाशोधन गृह, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार की धारिता के बिना एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ़्यूचर्स से संबंधित कोई लेनदेन या अन्यथा कारोबार नहीं करेंगे।

6. पण्य हेजिंग

भारत में निवासी, जो आयात और निर्यात व्यापार में लगे हुए हैं अथवा अन्यथा भी समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो, को अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज/बाजारों में अनुमत वस्तुओं के मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के संयोजन में नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान दिया जाए कि यहां प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का कार्य मुख्य रूप से अंतर्निहित जोखिम का सत्यापन करते हुए समय-समय पर मार्जिन आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा राशियों को विप्रेषित करने की सुविधा प्रदान करना है। विदेशी प्रतिपक्षों के साथ ग्राहकों द्वारा किए गए पण्य डेरिवेटिव लेनदेन से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिए प्रत्यक्ष विप्रेषण करने के बदले, एडी श्रेणी I बैंक पण्य डेरिवेटिव्स से संबंधित इन विशिष्ट भुगतान दायित्वों को कवर करने के लिए, अनुबंध XV की शर्तों/दिशानिर्देशों के अनुसार, गारंटी/अतिरिक्त साख पत्र जारी कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड शब्द, जहां भी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ यह शब्द, निदेशक मंडल या साझेदारी या मालिकाना फर्मों के मामले में समकक्ष फोरम को संदर्भित करता है। उक्त सुविधा को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

I) प्रत्यायोजित मार्ग

ए. वस्तुओं के वास्तविक आयात/निर्यात पर मूल्य जोखिम की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता: भारत में ऐसी कंपनियां जो वस्तुओं के आयात और निर्यात में लगी हुई हैं

सुविधाकर्ता: एडी श्रेणी I बैंक।

उद्देश्य: आयातित/निर्यातित वस्तु के मूल्य जोखिम को हेज करना।

उत्पाद: अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में स्टैंडर्ड-एक्सचेंज-ट्रेडेड-फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के अनुसार जरूरी हो तो- विदेशों में ओटीसी अनुबंधों का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनगत दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कुछ न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हैं, और रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को किसी भी वस्तु (सोना, चांदी, प्लेटिनम को छोड़कर) के संबंध में मूल्य जोखिम को अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज / बाजार में हेज करने की अनुमति दे सकते हैं।

दिशानिर्देश अनुबंध XI (ए और बी) में दिए गए हैं।

बी. कच्चे तेल के प्रत्याशित आयात की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता: कच्चे तेल की शोधन में जुटी देशी कंपनियां।

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: पिछले प्रदर्शन के आधार पर कच्चे तेल के आयात पर कीमत जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के अनुसार आवश्यकता है तो विदेशों में ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश:

ए) हेजिंग को पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत तक या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की अनुमति दी जा सकती है।

बी) इस सुविधा के तहत बुक किए गए संविदाओं को बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की अवधि के दौरान सहायक आयात आदेश प्रस्तुत करके नियमित करना होगा। इस आशय के लिए कंपनियों से एक वचनपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

सी) अनुबंध XI के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

सी. देशी खरीद और बिक्री पर कीमत जोखिम की हेजिंग

(i) चुनिंदा धातु

सहभागी

उपयोगकर्ता : किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, निकल और जस्ता के देशी उत्पादक / उपयोगकर्ता

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, निकल और जस्ता पर उनके अंतर्निहित आर्थिक एक्सपोजर के आधार पर कीमत जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)।

परिचालन दिशानिर्देश:

ए) हेजिंग की अनुमति पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के औसत वास्तविक खरीद/बिक्री या पिछले वर्ष की कुल वास्तविक खरीद/बिक्री कारोबार, जो भी उपरोक्त वस्तुओं में से अधिक हो, तक दी सकती है।

बी) एडी श्रेणी I बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उपयोगकर्ता से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला एक बोर्ड संकल्प प्राप्त करें जो उस समग्र ढांचे को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत व्युत्पन्नी गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए और जोखिमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(ii) एटीएफ (विमानन टर्बाइन ईंधन)

सहभागी

उपयोगकर्ता : एटीएफ के वास्तविक देशी उपयोगकर्ता।

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: देशी खरीद के आधार पर एटीएफ के संबंध में आर्थिक एक्सपोजर की हेजिंग करना।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाईल के अनुसार आवश्यकता है तो विदेशों में ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश:

ए) एडी श्रेणी 1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एटीएफ की हेजिंग की अनुमति केवल पक्के आदेशों पर ही दी जाए।

बी) एडी श्रेणी I बैंक आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य अपने पास रखें।

सी) एडी श्रेणी I बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उपयोगकर्ता से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला एक बोर्ड संकल्प प्राप्त करें जो उस समग्र ढांचे को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत व्युत्पन्नी गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए और जोखिमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

डी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(iii) कच्चे तेल की देशी खरीद और पेट्रो उत्पादों की बिक्री

सहभागी

उपयोगकर्ता: कच्चे तेल के शोधन में जुटी देशी कंपनियां।

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: कच्चे तेल की देशी खरीद और पेट्रोलियम उत्पादों की देशी बिक्री पर पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग करना जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जुड़े हैं।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाईल के अनुसार आवश्यकता है तो विदेशों में ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश:

ए) अंतर्निहित संविदा के आधार पर ही हेजिंग की अनुमति दी जाएगी।

बी) एडी श्रेणी I बैंक आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य अपने पास रखें।

सी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

डी. इन्वेंट्री पर कीमत जोखिम की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता: देशी तेल विपणन और शोधन कंपनियां

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: इन्वेंट्री पर पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद: काउंटर पर (ओटीसी)/ विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड व्युत्पन्नी जिसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष फॉरवर्ड तक सीमित है।

परिचालन दिशानिर्देश:

ए) पिछली तिमाही से आगे की तिमाही में वॉल्यूम के आधार पर उनकी इन्वेंट्री के 50 प्रतिशत की सीमा तक हेजिंग करने की अनुमति दी गई है।

बी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

II) अनुमोदन रूट

सहभागी

उपयोगकर्ता: वस्तुओं में प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय कीमत का जोखिम हो सकने वाले भारत में रहने वाले निवासी।

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: पण्यों में प्रणालीगत अंतरराष्ट्रीय कीमत जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाईल के अनुसार आवश्यकता है तो विदेशों में ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश:

जिन कंपनियों/फर्मों के आवेदन एडी श्रेणी I के प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, उन्हें एडी श्रेणी I बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विशिष्ट सिफारिशों के साथ रिज़र्व बैंक को विचार करने के लिए भेजा जाए। आवेदन का विवरण अनुबंध XII में दिया गया है।

III) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संस्थाएं

सहभागी

उपयोगकर्ता: विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संस्थाएं

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: आयातित/ निर्याततित पण्य के कीमत जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य विनिमयों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाईल के अनुसार आवश्यकता है तो विदेशों में ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश:

एडी बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) की संस्थाओं को विदेशी पण्य एक्सचेंजों/ बाज़ारों में निर्यात /आयात पर उनकी पण्य कीमतों की हेजिंग के लिए हेजिंग लेनदेन करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी संविदा स्टैंड-अलोन आधार पर की गयी हो। ('स्टैंड अलोन' शब्द का अर्थ है कि जहां तक इसके आयात/निर्यात लेनदेन का संबंध है, एसईजेड की इकाई मुख्य भूमि में या एसईजेड के अंतर्गत यह अपने मूल या सहायक कंपनी के साथ वित्तीय संपर्कों से पूरी तरह से अलग है।)

नोट: प्रत्यायोजित रूट और अनुमोदन रूट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश क्रमशः अनुबंध XI और XII में दिए गए हैं।

7. माल-भाड़ा हेजिंग

देशी तेल शोधन कंपनियों और शिपिंग कंपनियों, जिन्हें माल-भाड़ा जोखिम है, को रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत एडी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से अपने माल-भाड़ा जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति है। माल-भाड़ा जोखिम वाली अन्य कंपनियां अपने एडी श्रेणी 1 बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति ले सकती हैं।

यह ध्यान दिया जाए कि यहां प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका मुख्य रूप से अंतर्निहित जोखिम के सत्यापन के अधीन समय-समय पर मार्जिन आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा राशियों को विप्रेषित करने

की सुविधा प्रदान करना है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य व्युत्पन्नी उत्पाद के संयोजन में नहीं किया जाना चाहिए। इस सुविधा को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

I) प्रत्यायोजित रूट सहभागी:

उपयोगकर्ता: देशी तेल शोधन कंपनियां और शिपिंग कंपनियां।

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक जो विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत हैं अर्थात उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन जिन्हें सूचीबद्ध कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों/ बाजारों में पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति देने का प्राधिकार दिया गया है।

प्रयोजन: माल-भाड़ा जोखिम को हेज करना।

उत्पाद: प्लेन वनिला काउंटर पर (ओटीसी) या अंतरराष्ट्रीय बाजार / एक्सचेंज में एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद

परिचालन दिशानिर्देश:

i) अधिकतम स्वीकार्य अवधि एक वर्ष फॉरवर्ड होगी।

ii) जिन एक्सचेंजों पर उत्पाद खरीदे जाते हैं, वे मेजबान देश में एक विनियमित इकाई होनी चाहिए।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने फ्रेट जोखिमों की हेजिंग करने वाली संस्थाओं के पास बोर्ड संकल्प हैं जो यह प्रमाणित करते हों कि बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन नीतियों को मंजूरी दी है, जिसके भीतर व्युत्पन्नी लेनदेन किए जाने चाहिए, और जो उनमें निहित जोखिम के समग्र ढांचे को परिभाषित करता है। एडी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करने के बाद ही इस सुविधा को मंजूरी देनी चाहिए कि कंपनी के बोर्ड की मंजूरी विशिष्ट गतिविधि के लिए और विदेशी विनिमयों/ बाजारों में व्यापार करने के लिए भी प्राप्त की गई है। बोर्ड के अनुमोदन में स्पष्ट रूप से लेन-देन करने के लिए अनुमत प्राधिकारों/प्राधिकारियों, मार्क-टू-मार्केट नीति, ओटीसी व्युत्पन्नियों के लिए अनुमत प्रतिपक्षों आदि को शामिल किया जाना चाहिए और किए गए लेनदेनों की एक सूची छमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखी जानी चाहिए।

iv) एडी श्रेणी I बैंक को बोर्ड के संकल्प की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए जो प्रमाणित करती हो कि कॉर्पोरेट के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें लेन-देन की अनुमति देते समय और उसमें किए गए परिवर्तनों के समय उपरोक्त विवरण शामिल हैं।

v) उपयोगकर्ताओं के लिए अंतर्निहित एक्सपोजर का विवरण नीचे (ए) और (बी) के तहत दिया गया है:

(ए) देशी तेल शोधन कंपनियों के लिए:

(i) फ्रेट हेजिंग अंतर्निहित संविदाओं के आधार पर होगी, यानी कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात/निर्यात आदेश।

(ii) इसके अतिरिक्त, देशी तेल शोधन कंपनियां अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर कच्चे तेल के प्रत्याशित आयात पर अपने मालभाड़े के जोखिम को पिछले वर्ष के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयात की मात्रा के

50 प्रतिशत या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, की बचाव-व्यवस्था(हेज) कर सकती हैं।

(iii) पिछले प्रदर्शन सुविधा के तहत बुक किए गए संविदाओं को हेजिंग की अवधि के दौरान अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुत करते हुए नियमित करना होगा। इस आशय का कंपनी से एक वचन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

बी) शिपिंग कंपनियों के लिए:

(i) हेजिंग शिपिंग कंपनी के स्वामित्व/नियंत्रित जहाजों के आधार पर होगी जिनके पास कोई प्रतिबद्ध नियोजन नहीं है। हेज की मात्रा इन जहाजों की संख्या और क्षमता से निर्धारित की जाएगी। इसे सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करवाकर एडी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) बुक की गई संविदाओं को अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुति अर्थात हेज की अवधि के दौरान जहाज के नियोजन से नियमित किया जाना चाहिए। इस आशय का कंपनी से एक वचन पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

(iii) एडी श्रेणी I बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि शिपिंग कंपनियों द्वारा दर्ज किए जा रहे फ्रेट व्युत्पन्नियां शिपिंग कंपनियों के अंतर्निहित व्यवसाय को दर्शाते हैं।

II) अनुमोदन रूट सहभागी

उपयोगकर्ता: जिन कंपनियों (देशी तेल-शोधन कंपनियों और शिपिंग कंपनियों के अलावा) को माल-भाड़ा जोखिम का ख़तरा है।

सुविधा प्रदाता: एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन: माल-भाड़ा जोखिम का हेज करना।

उत्पाद: प्लेन वनिला ओवर दी काउंटर(ओटीसी) पर अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार / एक्सचेंज में एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद।

परिचालन दिशानिर्देश:

ए) अधिकतम अनुमत अवधि एक वर्ष फॉरवर्ड होगी।

बी) जिन एक्सचेंजों पर उत्पाद खरीदे जाते हैं, वे मेजबान देश में एक विनियमित इकाई होनी चाहिए।

सी) जिन कंपनियों/फर्मों के आवेदन एडी श्रेणी I के प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें उनके संबंधित एडी श्रेणी I बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विशिष्ट सिफारिशों के साथ रिज़र्व बैंक को विचारार्थ भेजा जाए।

खंड-II

भारत के बाहर रहने वाले निवासियों के लिए सुविधाएं

भारत से बाहर रहने वाले निवासियों के लिए अंतर्निहित जोखिम के सत्यापन के अधीन केवल पूंजीगत खाता लेनदेनों जैसा कि नीचे उल्लिखित है, के लिए हेजिंग की अनुमति है।

सहभागी:

बाज़ार-निर्माता- एफआईआई के संदर्भ में, एफआईआई के खाते रखने वाली एडी श्रेणी I बैंकों की नामित शाखाएं। अन्य सभी मामलों में एडी श्रेणी 1 बैंक।

उपयोगकर्ता: विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाले निवेशक और अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।

प्रत्येक उपयोगकर्ता के संबंधी, उत्पाद और परिचालन दिशानिर्देश नीचे दिए हैं:

1. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) प्रयोजन के लिए सुविधाएं

i) किसी विशेष तिथि को भारत में इक्विटी और/या ऋण में संपूर्ण निवेश के बाजार मूल्य पर मुद्रा जोखिम की हेजिंग करना।

ii) अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन(एएसबीए) तंत्र के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से संबंधित अल्पकालिक पूंजी प्रवाह की हेजिंग करना।

उत्पाद

एक मुद्रा के रूप में रुपया के साथ फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा एक्स्चेंज संविदा तथा विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शंस आईपीओ से संबंधित प्रवाह के लिए विदेशी मुद्रा - आईएनआर स्वैप।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) कवर के लिए पात्रता एफआईआई की घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाए।

बी) एडी श्रेणी I बैंक बाजार कीमत घट-बढ़, नए अंतर्वाह, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर, कम से कम त्रैमासिक अंतराल पर, आवधिक समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकाया वायदा कवर अंतर्निहित एक्सपोजर द्वारा समर्थित है।

सी) यदि प्रतिभूतियों की बिक्री के अलावा अन्य कारणों से पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के संकुचन के कारण हेज आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अनावृत हो जाता है, तो आवश्यकता हो तो हेज को मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

डी) एक बार रद्द किए गए संविदाओं को फिर से बुक नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वायदा संविदाओं को परिपक्वता पर या उससे पहले रोल ओवर किया जा सकता है।

ई) हेज की लागत को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रत्यावर्तनीय निधियों और/या आवक विप्रेषण से पूरा किया जाना चाहिए।

एफ़) हेज के लिए प्रासंगिक सभी जावक विप्रेषण लागू करों का शुद्ध हिस्सा हैं।

जी) आईपीओ से संबंधित अल्पकालिक पूंजी प्रवाह के लिए

i) विदेशी संस्थागत निवेशक एएसबीए प्रणाली के तहत आईपीओ से संबंधित प्रवाह की हेजिंग के लिए ही विदेशी मुद्रा-रुपये की स्वैप कर सकते हैं।

ii) स्वैप की राशि आईपीओ में निवेश की जाने वाली प्रस्तावित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii) स्वैप की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv) एक बार रद्द किए गए संविदाओं को फिर से बुक नहीं किया जा सकता है। इस योजना के तहत रोल ओवर की अनुमति भी नहीं होगी।

2. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

ए) फेरा, 1973 के प्रावधानों के अनुसार या उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत पोर्टफोलियो योजना के तहत या फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

बी) भारतीय कंपनियों में रखे गए शेयरों पर देय लाभांश की राशि पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

सी) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में रखी गई राशियों पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

डी) एनआरई खाते में रखी शेष राशि पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद

ए) मुद्रा वायदा विदेशी मुद्रा संविदा जिसमें एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शंस।

बी) इसके अतिरिक्त, एफसीएनआर (बी) खातों में शेष राशि के लिए - एक विदेशी मुद्रा में शेष राशि को अन्य विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए क्रॉस करेंसी (रुपया शामिल नहीं) वायदा संविदा जिसमें एफसीएनआर (बी) जमा को बनाए रखने की अनुमति है।

3. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

i) 1 जनवरी, 1993 से भारत में किए गए निवेशों के बाजार कीमत पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना, जो भारत में एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन है।

ii) भारतीय कंपनियों में निवेश पर प्राप्य लाभांश पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

iii) भारत में प्रस्तावित निवेश पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदा जिसमें एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शंस।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) भारत में किए गए निवेशों के बाजार कीमत पर विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करने के लिए संविदाओं के संबंध में, एक बार रद्द की गई संविदाएं फिर से बुक नहीं किए जा सकते हैं। हालाँकि, संविदा को रोल ओवर किया जा सकता है।

बी) प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(i) भारतीय कंपनियों में प्रस्तावित निवेश के कारण होने वाली विनिमय दर जोखिम की हेजिंग के लिए संविदाओं को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद बुक करने की अनुमति दी जा सकती है कि विदेशी संस्थाओं ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और निवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन (जहां भी लागू हो) प्राप्त कर लिया है।

(ii) संविदा की अवधि किसी एक समय में छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके बाद संविदा को जारी रखने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होगी।

(iii) यदि ये संविदाएं रद्द कर दी जाती हैं, तो वे समान अंतर्वाह के लिए पुनः बुक किए जाने के पात्र नहीं होंगी।

(iv) निरसन पर यदि कोई विनिमय लाभ हो तो इसे विदेशी निवेशक को नहीं दिया जाएगा।

4. [3]हेजिंग ट्रेड एक्सपोजर के लिए सुविधाएं, जिनके बिल भारतीय रुपये में बनाए गए हैं

प्रयोजन

भारतीय रुपए में भारत में आयात और भारत से निर्यात से जुड़े वास्तविक व्यापार लेनदेन से उत्पन्न मुद्रा जोखिम की भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से हेजिंग करना।

उत्पाद

मुद्रा वायदा विदेशी मुद्रा संविदा जिसमें एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शंस।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

एडी श्रेणी I बैंक नीचे दिए गए मॉडल I या मॉडल II का विकल्प चुन सकते हैं:

---

[3] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 3 दिनांक 21 जुलाई, 2011

मॉडल I

विदेशी बैंक के माध्यम से लेन-देन करने वाले अनिवासी निर्यातक/आयातक (भारत में एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं सहित)

• अनिवासी निर्यातक/आयातक उचित दस्तावेजों के साथ एक पक्के आयात या निर्यात आदेश के साथ रुपये में बनाए गए बिल पर होने वाले रुपये के एक्सपोजर की हेजिंग करने के अनुरोध के साथ विदेशों में अपने बैंकर से संपर्क करता है।

• बदले में विदेशी बैंक भारत में अपने प्रतिनिधि बैंक (अर्थात् भारत में एडी बैंक) से अपने ग्राहक के एक्सपोजर की हेजिंग करने के लिए ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के साथ कीमत के लिए संपर्क करेगा जो भारत में एडी बैंक को खुद को एक अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के संबंध में संतुष्ट करता है (स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार्य होंगी)। ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लेने की आवश्यकता है:

- यह कि उसी अंतर्निहित एक्सपोजर को भारत में किसी अन्य एडी श्रेणी 1 बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है।
- यदि अंतर्निहित जोखिम रद्द कर दिया जाता है, तो ग्राहक हेजिंग संविदा को तुरंत रद्द कर देगा।

• भारत में एडी बैंक द्वारा विदेशी बैंक से अंतिम ग्राहक केवाईसी पर एक प्रमाणीकरण भी एक बारगी दस्तावेज़ के रूप में लिया जाए।

• विदेशी प्रतिनिधि बैंक से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भारत में एडी बैंक को अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के अस्तित्व के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए और विदेशी बैंक को वायदा कीमत (कोई दो-तरफ़ा दर नहीं दिया जाना चाहिए) का प्रस्ताव देना चाहिए, जो बदले में अपने ग्राहक को इसका प्रस्ताव देगा। इस प्रकार, एडी बैंक विदेशी आयातक/निर्यातक के साथ सीधे सौदा नहीं करेगा।

• हेजिंग की राशि और अवधि अंतर्निहित लेन-देन से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं आगम के भुगतान/प्राप्ति की अवधि के संबंध में मौजूदा नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

• प्रतिनिधि बैंक के वोस्ट्रो या एडी बैंक के नोस्ट्रो खातों के माध्यम से नियत तिथि पर निपटान किया जाना चाहिए।

• एक बार निरसन होने के बाद संविदाओं को पुनः बुक नहीं किया जा सकता है।

• तथापि, संविदाओं को अंतर्निहित जोखिम की परिपक्वता के अधीन परिपक्वता पर या उससे पहले आगे बढ़ाया जा सकता है।

• संविदाओं का निरसन करने पर लाभ ग्राहक को दिया जा सकता है, बशर्ते ग्राहक एक घोषणा प्रदान करे कि उसके द्वारा संविदा पुनः बुक नहीं की जाएगी अथवा यह कि अंतर्निहित एक्सपोजर के निरसन के कारण संविदा निरस्त कर दी गयी है।

• यदि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन का विस्तार किया जाता है तो अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के विस्तार के आधार पर रोलओवर की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए विदेशी बैंक द्वारा उपयुक्त दस्तावेज प्रदान किए जाने हैं और मूल संविदा के मामले में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

मॉडल II

भारत में एडी बैंक के साथ सीधे लेन-देन करने वाले अनिवासी निर्यातक/आयातक

• विदेशी निर्यातक/आयातक भारत में एडी बैंक से अंतर्निहित लेन-देन के संबंध में, सौदा-पूर्व आधार पर उपयुक्त दस्तावेज(स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार्य होंगी) प्रस्तुत करते हुए, फॉरवर्ड कवर के लिए अनुरोध के साथ संपर्क करता है ताकि भारत में एडी बैंक उसके विदेशी बैंकर का विवरण, पता आदि और एक अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सके। ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लिए जाने की आवश्यकता है:

- यह कि उसी अंतर्निहित एक्सपोजर को भारत में किसी अन्य एडी श्रेणी I बैंक के माध्यम से हेजिंग नहीं किया गया है।
- यदि अंतर्निहित एक्सपोजर रद्द होता है तो ग्राहक बचाव-व्यवस्था संविदा तुरंत रद्द कर देगा।

- एडी बैंक अनुबंध XVIII में दिए गए प्रारूप में केवाईसी/एएमएल का प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। प्रारूप विदेशी प्रतिनिधि/ बैंक के माध्यम से स्विफ्ट प्रमाणित संदेश के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि एडी बैंक की उपस्थिति भारत के बाहर है, तो एडी अपने बैंक की अपतटीय शाखा के माध्यम से केवाईसी/एएमएल संबंधी कार्य करवा सकता है।
- एडी बैंकों को ऋण जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। स्वयं/ विदेशी शाखा द्वारा किए गए ऋण विश्लेषण के आधार पर ऋण सीमा प्रदान की जा सकती है।
- बचाव-व्यवस्था की राशि और अवधि अंतर्निहित लेनदेन से अधिक नहीं होनी चाहिए और भुगतान अवधि/वसूली के संबंध में मौजूदा नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
- देय तिथि पर निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्ट्रो या एडी बैंक के नोस्ट्रो खातों के माध्यम से किया जाना है। भारत में प्राधिकृत व्यापारी नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों में धनराशि देखने के बाद ही लाभार्थियों को धन जारी कर सकते हैं।
- एक बार रद्द की गई संविदाओं को फिर से बुक नहीं किया जा सकता है।
- तथापि, संविदाओं को अंतर्निहित जोखिम की परिपक्वता के अधीन परिपक्वता पर या उससे पहले रोलओवर किया जा सकता है।
- संविदाओं को रद्द करने पर लाभ ग्राहक को दिया जा सकता है, बशर्ते ग्राहक एक घोषणा प्रदान करे कि वह संविदा को फिर से बुक नहीं करने जा रहा है या अंतर्निहित जोखिम को रद्द करने के कारण संविदा को रद्द कर दिया गया है।
- यदि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बढ़ाया जाता है तो अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के विस्तार के आधार पर एक बार रोलओवर की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए विदेशी बैंक द्वारा उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हैं और मूल अनुबंध के मामले में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

5. [4]भारत में भारतीय रुपये में निर्दिष्ट ईसीबी की बचाव-व्यवस्था के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के साथ भारतीय रुपये में निर्दिष्ट ईसीबी से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम की बचाव-व्यवस्था करने के लिए।

उत्पाद

मुद्रा के रूप में रुपये के साथ फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाएँ, विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शन्स और विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

- अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में विदेशी इक्विटी धारक/विदेशी संगठन या व्यक्ति फॉरवर्ड कवर का अनुरोध करते हुए भारत में एडी बैंक से संपर्क करता है जिसके लिए उसे पूर्व-सौदा आधार पर उपयुक्त दस्तावेज (स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार्य होंगी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ताकि भारत में एडी बैंक खुद को संतुष्ट कर सकें कि एक अंतर्निहित ईसीबी लेनदेन है। इसके अलावा उसके विदेशी बैंकर, पते आदि विवरण से भी संतुष्ट होने की आवश्यकता है। ग्राहक से निम्नलिखित घोषणा भी लेने की आवश्यकता है –
    - कि भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/बैंकों के साथ उसी अंतर्निहित जोखिम की बचाव-व्यवस्था नहीं की गई है।
    - यदि अंतर्निहित जोखिम रद्द कर दिया गया है तो ग्राहक बचाव संविदा को तुरंत रद्द कर देगा।
- बचाव-व्यवस्था की राशि और अवधि अंतर्निहित लेनदेन से अधिक नहीं होनी चाहिए और भुगतान की अवधि/आय वसूली के संबंध में मौजूदा नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
- देय तिथि पर निपटान, प्रतिनिधि बैंक के वोस्ट्रो या एडी बैंक के नोस्ट्रो खातों के माध्यम से किया जाना है। भारत में प्राधिकृत व्यापारी नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों में धनराशि देखने के बाद ही लाभार्थियों को धन दे सकते हैं।
- एक बार रद्द की गई संविदाओं को फिर से बुक नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि, संविदाओं को परिपक्वता पर या उससे पहले अंतर्निहित जोखिम की परिपक्वता के अधीन रोल ओवर किया जा सकता है।
- संविदाओं को रद्द करने पर लाभ ग्राहक को दिया जा सकता है, बशर्ते ग्राहक एक घोषणा प्रदान करे कि वह संविदा को फिर से बुक नहीं करने जा रहा है या अंतर्निहित जोखिम को रद्द करने के कारण संविदा को रद्द कर दिया गया है।

---

[4] ए.पी.(डीआईआर सीरीज) दिनांक 29 दिसंबर 2011 परिपत्र संख्या 63

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें: एफआईआई के लिए उल्लिखित परिचालन दिशानिर्देश अनिवासियों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं पर लागू होंगे। भारत से बाहर के निवासी के लिए अनुमेय सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं एक बार रद्द किए जाने के बाद पुन: बुक किए जाने के पात्र नहीं हैं।

खंड III

प्राधिकृत व्यापारियों श्रेणी-I के लिए सुविधाएं

1. बैंकों की आस्ति-देयताओं का प्रबंधन

उपयोगकर्ता - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

प्रयोजन- विदेशी मुद्रा आस्ति-देयता पोर्टफोलियो का ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था

उत्पाद - ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर कैप/कॉलर, मुद्रा स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पोजीशन का बचाव करने के लिए कॉल या पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

इन उपकरणों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

ए) इस संबंध में एक उपयुक्त नीति शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

बी) बचाव-व्यवस्था का मूल्य और परिपक्वता अंतर्निहित से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सी) कोई 'एकल आधार' लेनदेन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि पोर्टफोलियो के मूल्य संकुचन के कारण बचाव-व्यवस्था आंशिक या पूर्णत: अनावृत हो जाती है तो इसे मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है और इसे नियमित अंतराल पर बाजार मूल्य से दर्शाया जाना चाहिए।

डी) इन लेन-देनों से उत्पन्न होने वाले निवल नकदी प्रवाह को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है और जहां भी लागू हो वहाँ विदेशी मुद्रा की स्थिति के लिए गणना की जाती है।

2. सोने की कीमतों की बचाव-व्यवस्था

उपयोगकर्ता-

i. गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को संचालित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक

ii. वे बैंक जिन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत में फॉरवर्ड गोल्ड संविदाओं में प्रवेश करने की अनुमति है (अंतर-बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न स्थिति सहित)

प्रयोजन – सोने के मूल्य जोखिम की बचाव-व्यवस्था करना

उत्पाद - एक्सचेंज-ट्रेडेड और विदेशों में उपलब्ध ओवर-द-काउंटर बचाव उत्पाद ।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) ऐसे उत्पाद जिनमें आपशन्स हैं, उनका उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या निहित प्रीमियम की कोई निवल प्राप्ति नहीं है।

बी) प्राधिकृत बैंकों को अंतर्निहित बिक्री, खरीद और उनके साथ सोने में ऋण लेनदेन के संबंध में अपने घटकों के साथ (सोने के उत्पादों के निर्यातकों, आभूषण निर्माताओं, व्यापारिक घरानों आदि) फॉरवर्ड संविदा करने की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। ऐसी संविदाओं की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पूंजी की बचाव-व्यवस्था

उपयोगकर्ता - भारत में कार्यरत विदेशी बैंक

उत्पाद - फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदा

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) टीयर I पूंजी –

i) स्थानीय विनियामक और सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत निधि भारत में उपलब्ध होनी चाहिए और इसलिए इन्हें नोस्ट्रो खातों में नहीं रखा जाना चाहिए। बचाव-व्यवस्था से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा निधियों को नोस्ट्रो खातों में नहीं रखा जाना चाहिए लेकिन हर समय भारत में बैंकों के साथ अदला-बदली की जानी चाहिए।

ii) फॉरवर्ड संविदा एक या अधिक वर्षों के लिए होनी चाहिए जिन्हें परिपक्वता पर रोल ओवर किया जा सकेगा। रद्द की गई बचाव-व्यवस्था की पुन: बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

बी) टीयर II पूंजी –

- विदेशी बैंकों को 14 फरवरी 2002 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी परिपत्र संख्या.आईबीएस.बीसी.65/23.10.015/2001-02 के अनुसार अपनी टियर II पूंजी को हेड ऑफिस उधार के रूप में अधीनस्थ ऋण के रूप में हर समय रुपये में अदला-बदली करके बचाव-व्यवस्था करने की अनुमति है।
- बैंकों को उन विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप लेनदेन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जिसमें नवोन्मेष टीयर I/टियर II बॉन्ड के संबंध में स्थिर दर रुपया देयताओं को फ्लोटिंग दर विदेशी मुद्रा देनदारियों में परिवर्तित करना शामिल है।

4. भारत में मुद्रा फ्यूचर बाजार में सहभागिता

कृपया भाग-ए खंड I, पैराग्राफ 4 देखें। उसी क्रम में:

ए) एडी श्रेणी I बैंक दिनांक 6 अगस्त 2008 के डीबीओडी निर्देशों डीबीओडी.संख्या.एफ़एसडी.बीसी 29/24.01.001/2008-09 का पालन करें।

बी) एडी श्रेणी I बैंकों को अपने स्वयं के खाते पर और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के मुद्रा फ्यूचर बाजार के ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है, बशर्ते वे निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

i) न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए।

ii) न्यूनतम सीआरएआर 10 प्रतिशत।

iii) निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ हुआ हो।

एडी श्रेणी-I बैंक जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें मुद्रा फ्यूचर्स संविदाओं के व्यापार और समाशोधन एवं जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

(सी) एडी श्रेणी-I बैंक जो उपरोक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और एडी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, वो केवल ग्राहकों के रूप में मुद्रा फ्यूचर्स बाजार में भाग ले सकते हैं और यह रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग के अनुमोदन और निर्देशों के अधीन है।

(डी) एडी श्रेणी-I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे नेट ओपन पोजीशन (एनओपी) और एग्रीगेट गैप (एजी) सीमाओं के भीतर परिचालन करेंगे। मुद्रा फ्यूचर्स बाज़ार में अपने खाते में बैंकों का एक्सपोजर उनकी एनओपी और एजी सीमाओं का हिस्सा होगा।

5. भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प बाजार में सहभागिता

कृपया भाग-ए खंड I, पैराग्राफ 5 देखें। उसी के क्रम में:

ए) एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने स्वयं के खाते पर और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट के ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने की अनुमति है, बशर्ते कि वे निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

i) रुपये का न्यूनतम निवल मूल्य 500 करोड़।

ii) न्यूनतम सीआरएआर 10 प्रतिशत।

iii) निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

iv) पिछले 3 वर्षों का निवल लाभ।

एडी श्रेणी-I बैंक जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प संविदाओं के व्यापार और समाशोधन एवं जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

बी) एडी श्रेणी-I बैंक जो उपरोक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और एडी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, वो केवल ग्राहकों के रूप में एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा

विकल्प बाजार में भाग ले सकते हैं और यह रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग के अनुमोदन और निर्देशों के अधीन है।

सी) एडी श्रेणी-I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे नेट ओपन पोजीशन (एनओपी) और सकाल गैप (एजी) सीमाओं के भीतर परिचालन करेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों में बैंकों की अपने खाते में विकल्प स्थिति उनकी एनओपी और एजी सीमाओं का हिस्सा होगी।

भाग ख

अनिवासी बैंकों के खाते

1. सामान्य

(i) अनिवासी बैंक के खाते में क्रेडिट, अनिवासियों को भुगतान की एक अनुमत विधि है और इसलिए विदेशी मुद्रा में अंतरण के लिए लागू विनियमों के अधीन है।

(ii) अनिवासी बैंक के खाते में डेबिट वास्तव में विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण है।

2. अनिवासी बैंकों के रुपया खाते

एडी श्रेणी I बैंक रिज़र्व बैंक को पूर्व संदर्भ दिए बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम से रुपया खाते (बिना ब्याज वाले) खोल/बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की विशिष्ट स्वीकृति आवश्यक है।

3. अनिवासी बैंकों के खातों का निधीकरण

(i) अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए एडी श्रेणी I बैंक भारत में अपने खातों में निधि जमा करने हेतु अपने विदेशी प्रतिनिधियों/शाखाओं से चालू बाजार दरों पर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए खातों में लेन-देन की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए कि विदेशी बैंक रुपये पर सट्टा नहीं लगाते हैं। ऐसे किसी मामले की सूचना रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

नोट: फंडिंग के लिए रुपए के बदले विदेशी मुद्रा की फॉरवर्ड खरीद या बिक्री प्रतिबंधित है। अनिवासी बैंकों को रुपये में दो तरफा कोटेशन की पेशकश भी निषिद्ध है।

4. अन्य खातों से स्थानान्तरण

एक ही बैंक या अलग-अलग बैंकों के खातों के बीच धन के हस्तांतरण की निर्बाधित अनुमति है।

5. रुपये का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन

अनिवासी बैंकों के रुपया खातों में रखी गई शेष राशि को मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे सभी लेन-देन को फॉर्म ए2 में दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित रिटर्न के तहत खाते से संबंधित डेबिट फॉर्म ए3 में होना चाहिए।

6. भुगतान करने और प्राप्त करने वाले बैंकों की जिम्मेदारियां

खातों में क्रेडिट के मामले में भुगतान करने वाले बैंकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और फॉर्म ए1/ए2 में जैसा भी मामला हो, सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

7. रुपया प्रेषण की वापसी

आवक विप्रेषणों को रद्द करने या वापस करने के अनुरोध का पालन रिज़र्व बैंक को बिना बताए किया जा सकता है लेकिन यह संतुष्ट होने के बाद कि प्रतिपूरक प्रकृति के लेन-देन के लिए प्रतिदाय नहीं किया जा रहा है।

8. विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधियों को ओवरड्राफ्ट/ऋण

(i) एडी श्रेणी I बैंक सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर रु. 500 लाख से अनधिक अस्थायी ओवरड्रावल की अनुमति अपनी विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधियों को दे सकते हैं। यह सीमा भारत में प्राधिकृत एडी श्रेणी I बैंक की सभी विदेशी शाखाओं की बहियों में और प्रतिनिधियों की बकाया राशि पर लागू होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों की फंडिंग को स्थगित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक के ओवरड्राफ्ट को पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया जाता है तो कारणों को बताते हुए एक रिपोर्ट महीने के अंत से 15 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुंबई 400001 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

(ii) एडी श्रेणी I बैंक उपरोक्त (i) से अधिक किसी भी अन्य क्रेडिट सुविधा को विदेशी बैंकों को विस्तारित करने के इच्छुक हैं तो उन्हें मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय अमर बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, मुंबई, 400001 से पूर्वानुमति लेनी चाहिए।

9. विनिमय गृहों के रुपया खाते

भारत में निजी विप्रेषण की सुविधा के लिए विनिमय गृहों के नाम से रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता है। व्यापार लेनदेन के निधीकरण के लिए विनिमय गृहों के माध्यम से विप्रेषण प्रति लेनदेन 2,00,000 रुपये तक की अनुमति है।

भाग सी

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन

1. सामान्य

एडी श्रेणी I बैंकों के निदेशक मंडल को एक उपयुक्त नीति बनानी चाहिए और विभिन्न ट्रेजरी कार्यों के लिए उपयुक्त सीमाएं तय करनी चाहिए।

2. स्थिति और अंतराल (पोजीशन एवं गैप)

नेट ओवरनाइट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (अनुबंध-I) और कुल गैप सीमा को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

3. अंतर-बैंक लेनदेन

पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन एडी श्रेणी I बैंक निम्नानुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकते हैं:

ए) भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के साथ:

(i) रुपये या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा खरीदना/बेचना/अदला-बदली करना।

(ii) विदेशी मुद्रा में जमा करना/स्वीकार करना और उधार लेना/उधार देना।

बी) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी बैंकों और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के साथ

(i) ग्राहक लेनदेन को कवर करने के लिए या अपनी स्थिति के समायोजन के लिए किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा खरीदना/बेचना/ अदला-बदली करना,

(ii) विदेशी बाजारों में व्यापारिक पोजीशन शुरू करना।

टिप्पणी :

ए. अनिवासी बैंकों के खातों की फंडिंग - कृपया भाग बी के पैराग्राफ 3 का संदर्भ लें।

बी. अंतर-बैंक बाजार में बिक्री के लिए फॉर्म ए2 को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे सभी लेनदेन आर रिटर्न में रिजर्व बैंक को सूचित किए जाएंगे।

4. विदेशी मुद्रा खाते/विदेशी बाजारों में निवेश

(i) विदेशी मुद्रा खातों में अंतर्वाह मुख्य रूप से ग्राहक से संबंधित लेन-देन, अदला-बदली सौदों, जमाराशि, उधार आदि से होता है। एडी श्रेणी I बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्तर तक विदेशी मुद्रा में शेष राशि बनाए रख सकते हैं। वे रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैप सीमा के अनुपालन के अधीन अपनी विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधियों के साथ ओवरनाइट प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से इन खातों में अधिशेष का प्रबंधन निर्बाधित रूप से कर सकते हैं।

(ii) एडी श्रेणी I बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के निवेश एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ एक विदेशी राष्ट्र द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा बाजार लिखतों और/या ऋण लिखतों में किए जा सकते हैं और मूडीज द्वारा Aa3 स्टैंडर्ड एंड पुअर / FITCH IBCA द्वारा कम से कम AA (-) के रूप में रेट किए गए हैं। किसी विदेशी राष्ट्र के मुद्रा बाजार लिखतों के अलावा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन के लिए बैंक का बोर्ड, जहां आवश्यक हो, देश की रेटिंग और देश-वार सीमाएं अलग से निर्धारित कर सकता है।

नोट: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट' में ऐसा भी ऋण साधन शामिल होगा जिसकी परिपक्वता अवधि खरीद की तिथि पर एक वर्ष से अधिक नहीं है।

(iii) एडी श्रेणी I बैंक भी विदेशी बाजारों में अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों को दीर्घावधि नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अंतर्निहित एफसीएनआर की परिपक्वता से अधिक न हो। (बी) जमा।

(iv) नोस्ट्रो खातों में अधिशेषों का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

ए) विवेकपूर्ण/ब्याज-दर मानदंडों, क्रेडिट अनुशासन और लागू क्रेडिट निगरानी दिशानिर्देशों के अधीन निवासी घटकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने या रुपया कार्यशील पूंजी/पूंजीगत व्यय की जरूरतों के लिए ऋण देना।

बी) रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/विदेश में संयुक्त उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी किसी निवासी कंपनी के पास हो।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अदावी खातों के शेष, असमाशोधित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों को बट्टे खाते में डाल सकते हैं/अंतरित कर सकते हैं।

5. ऋण/ओवरड्राफ्ट

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के विदेशी मुद्रा उधार की सभी श्रेणियां, (नीचे (सी) में दिए गए उधारों को छोड़कर), मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, विदेशी शाखाओं और प्रतिनिधियों से ऋण/ओवरड्राफ्ट और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट शामिल हैं (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं), उनकी टियर I अक्षत पूंजी के 50 प्रतिशत या 10 मिलियन अमरीकी डालर (या इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। उक्त सीमा भारत में सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में स्थित उनकी सभी शाखाओं/प्रतिनिधियों से प्राप्त की गई कुल राशि पर लागू होती है और इसमें घरेलू स्वर्ण ऋणों के वित्तपोषण के लिए सोने में विदेशी उधार भी शामिल है (cf. डीबीओडी परिपत्र सं. आईबीडी.बीसी.33/23.67.001/2005-06 दिनांक 5 सितंबर 2005)। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक निकासी पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं की जाती है, तो उस महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर जिसमें सीमा पार हो गई थी, अनुबंध VIII में प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

बी) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और रिज़र्व बैंक के संदर्भ के बिना चुकाया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को 31 जनवरी 2003 के आईईसीडी परिपत्र संख्या 12/04.02.02/2002-03 के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों का उपयोग करने की अनुमति है। इस सीमा से अधिक की कोई भी नई उधारी केवल रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से ही की जाएगी। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।

सी) निम्नलिखित उधार टियर I की अक्षत पूंजी के 50 प्रतिशत या 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (या इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, की सीमा से बाहर रहेंगे:

i). प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा विदेशी उधार विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण 1 जुलाई, 2003 के आईईसीडी मास्टर सर्कुलर में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए लिया गया I

ii). टियर II पूंजी के रूप में भारत में अपनी शाखाओं के साथ विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखा गया गौण ऋण।

iii) 25 जनवरी 2006 के परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.57/21.01.002/2005-06 और दिनांक 21 जुलाई 2006 के परिपत्र डीबीओडी। सं.बीपी.बीसी.23/21.01.002/2006-07 के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा

में, नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतों और ऋण पूंजीगत लिखतों के जारी होने से जुटाई/बढ़ाई गई पूंजीगत निधियां।

iv) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से कोई अन्य विदेशी उधार।

डी) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऋण/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (करों का निवल) विप्रेषित किया जा सकता है।

भाग डी

रिजर्व बैंक को रिपोर्ट

i) प्रत्येक एडी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/प्रधान कार्यालय को फॉर्म एफ़टीडी में विदेशी मुद्रा कारोबार का दैनिक विवरण, और फॉर्म जीबीपी में गैप, पोजीशन और नकद शेष राशि संबंधी विवरण ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।

ii) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के प्रधान/प्रधान कार्यालय को अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में मासिक आधार पर नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों में शेष राशि का विवरण निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8 वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई-400 001 को अग्रेषित करनी होगी। दिए गए प्रारूप में यह सूचना फैक्स / ई-मेल द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवासियों द्वारा किए गए अंतर-मुद्रीय व्युत्पन्नी लेनदेन पर डेटा को समेकित करें और अनुबंध-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट (जून और दिसंबर) प्रस्तुत करें।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अनुबंध-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर का विवरण अग्रेषित करें। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों के एक्सपोजर का विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाए। एडी बैंकों को यह रिपोर्ट बैंक बहियों के आधार पर प्रस्तुत करनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट विवरणियों के आधार पर।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को अनुबंध VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किए गए ऑप्शन लेनदेन (FCY-INR) का विवरण अग्रेषित करना होगा।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध-IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार हर महीने के अंतिम शुक्रवार को सभी श्रेणियों के तहत अपने कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार की सूचना देनी होगी। रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध-X के प्रारूप के अनुसार, पिछले प्रदर्शन के आधार पर अग्रिम संविदाओं की बुकिंग की सुविधा के अंतर्गत अपने घटकों को दी गई और उनके द्वारा उपयोग की गई सीमाओं के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार की पोजीशन के अनुसार) प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है जो अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

(vii) प्रत्येक एडी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/प्रधान कार्यालय को ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से पाक्षिक आधार पर सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी धारित राशि का विवरण देते हुए रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से सात कैलेंडर दिनों के भीतर एक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(viii) एफआईआई द्वारा लिए गए कवर के संबंध में अगले महीने की 10 तारीख से पहले अनुबंध XIII के प्रारूप के अनुसार एक मासिक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें एफआईआई/फंड का नाम, कवर की पात्र राशि, वास्तविक कवर आदि दर्शाया जाए।

ix) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के प्रधान/प्रधान कार्यालय को दिसंबर के अंत तक अपने सभी कार्यालयों/शाखाओं की अद्यतन सूची (तीन प्रतियों में) रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित उनके कोड नंबर के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए, जिनके पास अनिवासी बैंकों के रुपया खाते हैं। यह सूची अगले वर्ष की 15 जनवरी से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यालयों/शाखाओं को रिज़र्व बैंक के उन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिनमें वे स्थित हैं।

x) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध XIV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अगले महीने के पहले सप्ताह के भीतर एसएमई और निवासी व्यक्तियों द्वारा बुक की गई और रद्द की गई वायदा संविदाओं पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

xi) [5]अधिकृत व्यापारियों को योजना के तहत अनिवासियों द्वारा किए गए लेनदेन पर डेटा को समेकित करके अनुबंध XIX में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

xii) [6]प्राधिकृत व्यापारियों को त्रैमासिक आधार पर, अनुबंध XX में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार योजना के तहत गैर-निवासियों द्वारा हेज लेनदेन और/या अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बार-बार रद्द करने वाले संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी।

जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, मुंबई - 400 001 को भेजी जानी हैं।

[5] ए.पी.(डीआईआर सीरीज) दिनांक 21 जुलाई 2011 को जारी परिपत्र संख्या 3

[6] ए.पी. (डीआईआर सीरीज) दिनांक 21 जुलाई 2011 को जारी परिपत्र संख्या 3

अनुबंध I

[भाग सी, पैराग्राफ 2 देखें]

प्राधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा के लिए दिशानिर्देश

श्रेणी-I

1. कवरेज

भारत में निगमित बैंकों के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित एक्स्पोजर सीमा उनकी विदेशी शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों सहित, सभी शाखाओं का कुल होनी चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए, सीमा केवल भारत में उनकी शाखाओं को कवर करेगी।

2. पूंजी

पूंजी का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार टियर 1 पूंजी से है।

3. एकल मुद्रा में शुद्ध ओपन पोजीशन की गणना

ओपन पोजीशन को पहले प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए अलग से मापा जाना चाहिए। किसी मुद्रा में ओपन पोजीशन (ए) निवल स्पॉट पोजीशन, (बी) निवल वायदा पोजीशन और (सी) निवल ऑप्शन पोजीशन का योग है।

ए) निवल स्पॉट पोजीशन

निवल स्पॉट पोजीशन तुलन पत्र में विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के बीच का अंतर है। इसमें सभी उपार्जित आय/व्यय शामिल होने चाहिए।

बी) निवल वायदा पोजीशन

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन के परिणामस्वरूप भविष्य में प्राप्त की जाने वाली सभी राशि से भुगतान की जाने वाली राशि को घटाकर प्राप्त की जाने वाली निवल राशि दर्शाता है। इन लेन-देन में, जो बैंक की पुस्तकों में तुलन-पत्र से इतर मदों के रूप में दर्ज हैं, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) स्पॉट लेनदेन जिनका अभी तक निपटान नहीं हुआ हैं;

(ii) वायदा लेनदेन;

(iii) विदेशी मुद्राओं में दर्शाई गई गारंटी और इसी तरह की प्रतिबद्धताएं जिन्हें कॉल किया जाना निश्चित है;

(iv) मुद्रा वायदा के संबंध में प्राप्त/भुगतान की जाने वाली राशियों का निवल और मुद्रा वायदा/स्वैप पर मूलधन।

सी) शुद्ध ऑप्शन पोजीशन

ऑप्शन पोजीशन "डेल्टा-समकक्ष" स्पॉट मुद्रा पोजीशन है जैसा कि प्राधिकृत डीलर के ऑप्शन जोखिम प्रबंधन प्रणाली में परिलक्षित होता है, और वे डेल्टा हेज शामिल है जिन्हें पहले से ही उक्त 3 (ए) या 3 (बी) (आई) और (ii) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

4. समग्र ओपन पोजीशन की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के बैंक के मिश्रण में निहित जोखिमों का मापन शामिल है। इसके लिए "शॉर्टहैंड विधि" को अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसे समग्र निवल ओपन पोजीशन पर पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। इसलिए, बैंक समग्र शुद्ध ओपन पोजीशन की गणना निम्नानुसार करें:

(i) प्रत्येक मुद्रा में निवल ओपन पोजीशन की गणना करें (ऊपर अनुच्छेद 3)।

(ii) स्वर्ण में शुद्ध ओपन पोजीशन की गणना करें।

(iii) मौजूदा आरबीआई/एफ़ईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में निवल पोजीशन और स्वर्ण को रुपये में परिवर्तित करें। वायदा विनिमय संविदाओं सहित सभी व्युत्पन्न लेन-देनों की सूचना वर्तमान मूल्य (पीवी) समायोजन के आधार पर दी जानी चाहिए।

(iv) सभी निवल शॉर्ट पोजीशन का जोड़ लगाएं।

(v) सभी निवल लॉन्ग पोजीशन का जोड़ लगाएं।

समग्र निवल विदेशी मुद्रा की पोजीशन (iv) या (v) से उच्चतर है। उपर्युक्त के अनुसार निकाली गई कुल निवल विदेशी मुद्रा पोजीशन को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए।

नोट: प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को शुद्ध ओपन पोजीशन की गणना के उद्देश्य से पीवी समायोजन के आधार पर वायदा विनिमय अनुबंधों सहित सभी व्युत्पन्न लेन-देनों की रिपोर्ट करनी चाहिए। डिस्काउंट कारकों पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित प्रतिफल वक्रों का उपयोग किया जाए :

i) वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में जिनकी अवधि 12 माह तक है:

लागू लिबोर दर।

ii) वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में जिनकी अवधि 12 माह से अधिक और 13 माह तक है:

11 महीने और 12 महीने के लिए लिबोर दरों पर विचार किया जा सकता है; इन 2 महीनों के बीच के अंतर को 13 महीने की लिबोर दर तय करने के लिए 12 महीने के लिए लिबोर दर में जोड़ा जा सकता है।

iii) 13 महीने से अधिक अवधि की वायदा विनिमय संविदाओं और अन्य सभी व्युत्पन्न संविदाओं के संबंध में:

निवल वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए डिस्काउंट कारकों की गणना वर्तमान स्वैप वक्र के आधार पर की जा सकती है जैसा कि रॉयटर्स स्क्रीन के पृष्ठ आईसीएपी 1 और एसडब्ल्यूएक्यू पर लगातार आधार पर दिखाई देता है (यानी एक निर्दिष्ट समय को अपनाना जिस पर इसे निर्धारित किया जाना है)।

अपनाई जाने वाली पद्धति/दर/कट-ऑफ समय का चयन आदि प्रबंधन द्वारा संबंधित बैंक के निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों का एक हिस्सा होना चाहिए।

5. पूंजी की आवश्यकता

जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है।

अनुबंध II

[भाग डी, पैरा (i) देखें]

विदेशी मुद्रा व्यापार के कारोबारी आंकड़ों की रिपोर्टिंग - एफटीडी और जीपीबी

एफटीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और प्रारूप नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि इन दिशानिर्देशों के आधार पर रिपोर्ट ठीक से संकलित की गई हैं: किसी विशेष तिथि के लिए डेटा अगले कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए।

एफटीडी

1. स्पॉट - नकद और टॉम लेनदेन को 'स्पॉट' लेनदेनों के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

2. स्वैप - अधिकृत डीलरों श्रेणी- I के बीच केवल विदेशी मुद्रा स्वैप को स्वैप लेनदेन के तहत रिपोर्ट किया जाए । लंबी अवधि के स्वैप (अंतर-मुद्रा और विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। स्वैप लेनदेनों को केवल एक बार रिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसे 'स्पॉट' या 'फॉरवर्ड' लेनदेनों के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। खरीद/बिक्री स्वैप को स्वैप' के अंतर्गत 'खरीद' पक्ष में जबकि बिक्री/खरीद स्वैपको 'बिक्री' पक्ष में दर्शाना ।

3. वायदा रद्द करना - व्यापारियों से खरीदे गए वायदा अनुबंधों को रद्द करने के तहत सूचित की जाने वाली राशि अधिकृत डीलर श्रेणी-1 द्वारा रद्द किए गए वायदा व्यापारी बिक्री अनुबंधों का कुल योग होना चाहिए(बाजार में आपूर्ति में जुड़ना)। रद्द किए गए वायदा अनुबंधों की बिक्री पक्ष पर, रद्द किए गए वायदा खरीद अनुबंधों के कुल को इंगित किया जाना चाहिए (बाजार में मांग को जोड़ना)।

4 'एफसीवाई/एफसीवाई' लेनदेन - लेनदेन के दोनों चरणों को संबंधित कॉलम में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए EUR/USD में खरीद अनुबंध में EUR राशि को खरीद पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए जबकि USD राशि को बिक्री पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए।

5. आरबीआई के साथ किए गए लेनदेनों को अंतर-बैंक लेनदेनों में शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा में लेन-देन के लिए अधिकृत बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ किए गए लें देनों लेनदेन को व्यापारी लेनदेन के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष - सभी विदेशी मुद्राओं में नकद शेष और निवेश को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाना चाहिए और इस मद के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

2. निवल ओपन विनिमय की पोजीशन - इससे प्राधिकृत डीलर श्रेणी-1 की समग्र ओवरनाइट निवल ओपन विनिमय की पोजीशन करोड़ रुपये में दर्शानी चाहिए। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन की गणना अनुबंध I में दिए गए निर्देशों के आधार पर की जानी चाहिए।

3. उपरोक्त एफसीवाई/आईएनआर में से- रिपोर्ट की जाने वाली राशि रुपये के मुकाबले पोजीशन है- यानी शुद्ध ओवरनाइट ओपन विनिमय की पोजीशन में से क्रॉस करेंसी पोजीशन घाटा कर, यदि कोई हो।

एफटीडी और जीपीबी विवरणों के प्रारूप

एफ़टीडी

दिनांक ....को विदेशी मुद्रा के दैनिक कारोबार को दर्शाने वाला विवरण

		व्यापारी			अंतर बैंक		
		स्पॉट, कैश, तैयार, टी.टी. आदि	वायदा	वायदा रद्द करना	स्पॉट	स्वैप	वायदा
FCY/INR	से खरीदा						
	को बेचा						
FCY/FCY	से खरीदा						
	को बेचा						

जीबीपी(GBP)

दिनांक.......... को गैप, पोजीशन और नकदी शेष को दर्शाने वाला विवरण

विदेशी मुद्रा शेष (नकद शेष + सभी निवेश)	:	यूएसडी (मिलियन) में
नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (रु.)	:	ओ/बी (+)/ओ/एस (-) करोड़ रुपये में
उपरोक्त एफसीवाई/आईएनआर में से	:	करोड़ रुपये में
एजीएल का रखरखाव (USD mio में):	:	वीएआर बनाए रखा गया (भारतीय रुपये में)

विदेशी मुद्रा परिपक्वता असंतुलन (मिलियन यूएसडी डॉलर में)

1 महीना	2 महीने	3 महीने	4 महीने	5 महीने	6 महीने	>6 महीने

अनुबंध III

[भाग डी, पैराग्राफ (ii) देखें]

............माह के लिए नोस्ट्रो/वोस्ट्रो शेष का विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता........

क्र.सं.	मुद्रा	नोस्ट्रो खाते में कुल शेष राशि	वोस्ट्रो खाते में कुल शेष राशि
1	यूएसडी		
2	यूरो		
3	जापानी येन		
4	जीबीपी		
5	भारतीय रुपया		
6	अन्य मुद्राएं (अमेरिकी डॉलर में)		

नोट: यदि ऊपर दिए गए प्रत्येक मद (1 से 5 पर) में भिन्नता एक महीने में 10% से अधिक है, तो, फुटनोट के रूप में कारण संक्षेप में दिया जाए।

यह विवरण निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, मुंबई-400 001 को संबोधित किया जाना चाहिए। फोन: 022-2266 3791. फैक्स 022 2262 2993, 2266 0792. ईमेल: deapdif@rbi.org.in / rajmal@rbi.org.in

अनुबंध IV

[भाग डी, पैराग्राफ (iii) देखें]

अंतर मुद्रा डेरीवेटिव लेनदेन - .... को समाप्त अर्ध-वर्ष के लिए विवरण

उत्पाद	लेन-देनों की संख्या	अमेरिकी डॉलर में नोशनल मूलधन की राशि
ब्याज दर स्वैप		
करेंसी स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा ऑप्शन		
ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर समझौते		
रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर अनुमोदित कोई अन्य उत्पाद		

अनुबंध V

[भाग डी, पैराग्राफ (iv) देखें]

.... तक विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी

<table>
<tr><td colspan="10">........ तक विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी बैंक का नाम..</td></tr>
<tr><td colspan="10">ए. अंतर्निहित लेनदेन के आधार पर एक्सपोजर और हेज (यूएसडी मिलियन)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">क्रम संख्या</td><td rowspan="3">कॉर्पोरेट का नाम</td><td colspan="6">व्यापार से संबंधित</td><td colspan="2">गैर-व्यापार</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्यात</td><td colspan="2">आयात</td><td colspan="2">अल्पकालिक वित्त बकाया</td><td rowspan="2">जोखिम</td><td rowspan="2">हेज की गई राशि</td></tr>
<tr><td>जोखिम</td><td>हेज की गई राशि</td><td>जोखिम</td><td>हेज की गई राशि</td><td>जोखिम</td><td>हेज की गई राशि</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>नोट्स:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">ए. खरीदे गए/बट्टागत/परक्रामित किए गए निर्यात बिलों को शामिल नहीं किया जाएगा</td></tr>
<tr><td colspan="10">बी. स्थापित साखपत्र/अग्र भुगतान के बिल/बकाया आयात संग्रह बिलों को शामिल किया जाएगा</td></tr>
<tr><td colspan="10">सी. डेटा बैंकों के बही-खातों के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि कॉर्पोरेट के रिटर्न के आधार पर</td></tr>
<tr><td colspan="10">डी. अल्पकालिक वित्त में बैंक /पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित व्यापार ऋण (खरीदार का क्रेडिट / आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट) शामिल है</td></tr>
<tr><td colspan="10">ई. गैर-व्यापार एक्सपोजर में ईसीबी, एफसीसीबी मामले शामिल हैं जिन्हें बैंक/एफसीएनआर (बी) ऋण आदि द्वारा संभाला जाता है।</td></tr>
<tr><td colspan="10">एफ़. कॉर्पोरेट वार डेटा जहां एक्सपोजर या हेज 25 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक या इसके बराबर है, रिपोर्ट किया जाएगा।</td></tr>
</table>

जी. सभी हेज जहां रुपया एक चरण के रूप में हो, की सूचना दी जाएगी
एच. ऑपशंस संरचनाओं के मामले में, उच्चतम अनुमानित राशि वाले व्यापार की सूचना दी जाएगी।
आई. कॉर्पोरेट वार डेटा जहां आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की गई पात्र सीमा 25 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक या समकक्ष है, भाग बी में सूचित किया जाएगा
जे. भाग बी रिपोर्ट में हेज की गई राशि के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान बुक किए गए हेज का कुल
के. भाग बी में पिछले वर्ष के दौरान बुक किए गए अनुबंधों की राशि और बकाया को हेज की गई राशि और बकाया राशि के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।
एल. केवल उन मामलों में जहां बैंक ने कॉर्पोरेट के लिए कुछ पीपी सीमाएं मंजूर की हैं, भाग बी में सूचित की जाएंगी
कृपया एक्सेल प्रारूप में ईमेल द्वारा रिपोर्ट को 'ecdcofmd@rbi.org.in' पर प्रेषित करें और 'fedcofmd@rbi.org.in' को कॉपी में रखें।

<table>
<tr><td colspan="6">... तक विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित सूचना........ बैंक का नाम......</td><td rowspan="5">सी. रुपये की देयता पर आधारित आईएनआर/एफ़सीवाई मुद्रा स्वैप (25 मिलियन अमरीकी डालर से ऊपर या बराबर की रिपोर्ट की जाए)</td></tr>
<tr><td colspan="6">बी. विगत प्रदर्शन के आधार पर एक्सपोजर और हेजेस (यूएसडी मिलियन)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">निर्यात</td><td colspan="3">आयात</td></tr>
<tr><td>अर्ह सीमाएं</td><td>हेज की गई संचयी राशि</td><td>बकाया राशि</td><td>अर्ह सीमाएं</td><td>हेज की गई संचयी राशि</td><td>बकाया राशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I को समग्र रूप से बैंक के लिए उपर्युक्त आंकड़ों को समेकित करना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, मुंबई-400 001 को कॉर्पोरेट-वार शेष राशि देते हुए एक्सेल प्रारूप में एक रिपोर्ट अग्रेषित करनी चाहिए।

अनुबंध VI

भाग ए अनुभाग 1 परिच्छेद 2(जी)(ii) देखें]

पारस्परिक मुद्रा विकल्पके अंतर्गत बुक की गई/रद्द की गई राशियों की घोषणा का प्रारूप
[कंपनी के पत्रशीर्ष पर]

दिनांक:

सेवा में,
(बैंक का नाम और पता)

महोदय,

विषय: विगत निष्पादन सुविधा के अंतर्गत बुक की गई/रद्द की गई राशियों की घोषणा

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों (एडी श्रेणी I बैंक) के साथ विगत प्रदर्शन सुविधा के आधार पर, विदेशी मुद्रा से जुड़े फॉरवर्ड या ऑप्शन अनुबंधों की बुकिंग सुविधा, विशेष रूप से इस संबंध में दिनांक [ ] को हमारे द्वारा आपको प्रस्तुत किए गए वचनपत्र के का संदर्भ लें ("वचनपत्र")।

उक्त वचनपत्र के अनुसार, हम एतदद्वारा सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ बुक किए गए लेनदेन की राशि के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करते हैं।

हम निम्नलिखित एडी श्रेणी I बैंकों के साथ विगत प्रदर्शन सीमा का लाभ उठा रहे हैं:

……………………………………

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ फेमा विनियमों के तहत अनुमत विगत प्रदर्शन सुविधा के तहत बुक की गई / रद्द की गई राशियों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

(अमेरिकी डॉलर में राशि) विगत प्रदर्शन के तहत पात्र सीमा	अप्रैल से आज तक सभी एडी के साथ बुक किए गए ठेके की सकल राशि	अप्रैल से आज तक एडी के साथ रद्द किए गए ठेकों की राशि	आज की तारीख तक सभी एडी के साथ ठेके की बकाया राशि	आज की तारीख तक उपयोग की गई राशि (दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा)	विगत प्रदर्शन के तहत आज की तारीख में उपलब्ध सीमाएं

सधन्यवाद,

भवदीय,
XXXXXX के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध VII

[भाग ए, खंड I, परिच्छेद 2(जी)(iv) देखें]

आयात/निर्यात कारोबार, अतिदेय आदि का ब्यौरा देने वाला विवरण।

घटक का नाम: ___________________________________

(राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	कारोबार		कारोबार में अतिदेय बिलों का प्रतिशत		विगत प्रदर्शन के आधार पर फॉरवर्ड कवर आधारित बुकिंग के लिए मौजूदा सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2006-07						
2007-08						
2008-09						

अनुबंध VIII

[भाग डी, परिच्छेद (v) देखें]

एफ़सीवाई /रुपया ऑप्शन संव्यवहार

[____________________ को समाप्त हुए सप्ताह के लिए]

I. ऑपशंस संव्यवहार रिपोर्ट

क्रम संख्या	व्यापार दिनांक	ग्राहक/ सी पार्टी नाम	नोशनल	कॉल / पुट ऑपशंस	नियत दाम	परिपक्वता	प्रीमियम	कारण*

*व्यापार या ग्राहक संबंधित तुलन-पत्र का उल्लेख करें।

II. ऑप्शन स्थिति रिपोर्ट

मुद्रा युग्म	नोशनल बकाया		निवल पोर्टफोलियो डेल्टा	निवल पोर्टफोलियो गामा	निवल पोर्टफोलियो वेगा
	कॉल	पुट			
यूएसडी-आईएनआर	यूएसडी	यूएसडी	यूएसडी		
ईयूआर-आईएनआर	ईयूआर	ईयूआर	ईयूआर		
जेपीवाई-आईएनआर	जेपीवाई	जेपीवाई	जेपीवाई		

(इसी तरह अन्य मुद्रा युग्मों के लिए)

कुल निवल ओपन ऑप्शंस पोजीशन (आईएनआर):

दिनांक 4 अप्रैल 2003 के परिपत्र संख्या 92 की ए.पी. (डीआईआर सीरीज) में निर्धारित कार्यप्रणाली का उपयोग करके सकल निवल ओपन ऑप्शंस की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में बदलाव

आईएनआर के अनुसार स्पॉट में 0.25% परिवर्तन के लिए यूएसडी-आईएनआर डेल्टा में परिवर्तन ($-मूल्यवृद्धि) =

आईएनआर के अनुसार स्पॉट में 0.25% परिवर्तन के लिए यूएसडी-आईएनआर डेल्टा में परिवर्तन ($-मूल्यह्रास) =

इसी तरह, आईएनआर के अनुसार स्पॉट में 0.25% बदलाव के लिए डेल्टा में बदलाव (एफ़सीवाई मूल्यवृद्धि और मूल्यह्रास के लिए अलग से) अन्य मुद्रा युग्म, यथा ईयूआर-आईएनआर, जेपीवाई-आईएनआर आदि के लिए होगा।

IV. नियत संकेंद्रता (स्ट्राइक) रिपोर्ट

	परिपक्वता समूह					
नियत मूल्य	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	>3 माह

यह रिपोर्ट मौजूदा स्पॉट स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे में तैयार की जाए।

इसमें संचयी स्थितियां दी जानी हैं।

सभी राशियां मिलियन अमरीकी डालर में। जब बैंक किसी ऑपशन का स्वामित्व रखे, तो राशि सकारात्मक दिखाई जानी चाहिए। जब बैंक किसी ऑपशंस का विक्रय करता है, तो राशि को ऋणात्मक दिखाया जाना चाहिए। **सभी मार्केट-मेकर्स द्वारा रिपोर्ट्स को ई-मेल के माध्यम से fedcofmd@rbi.org.in पर भेजा जाए। रिपोर्ट को हर शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तैयार किया जाए और अगले सोमवार तक प्रेषित किया जाए।**

अनुबंध IX

[भाग सी, परिच्छेद 5 (ए) देखें]

…….. को समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार-रिपोर्ट

राशि (समतुल्य यूएसडी* मिलियन में)

बैंक (स्विफ्ट कोड)	पिछली तिमाही की समाप्ति पर अक्षुण्ण टियर-I पूंजी	1 जुलाई 2009 के जोखिम प्रबंधन और इंटर बैंक लेन-देन पर मास्टर परिपत्र के भाग सी पैरा 5 (ए) के अनुसार उधार	पुन:पूर्ति के लिए उक्त ऊपरी सीमा से अधिक उधार। रुपया संसाधन के रूप में @	बाह्य वाणिज्यिक उधार	दिनांक 1 जुलाई 2003 के आईईसीडी के विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 3/2000-आरबी के विनियम 4.2(iv) के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं के तहत उधारियां	
					(ए) विदेशी मुद्रा में लदानपूर्व निर्यात ऋण को देने के लिए ऋण व्यवस्था (पीसीएफ़सी)	(बी) बैंकर्स स्वीकार सुविधा (बीएएफ) / से विदेशी पुनर्बट्टाकृत निर्यात बिल (ईबीआर) योजना को विस्तारित करने के लिए विदेशों से

						ऋण
	ए	1	2	3	4ए	4बी
टियर-II पूंजी में समावेशन के लिए विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ कर्ज़	कोई अन्य वर्ग (कृपया इस सेल में स्पष्ट करें)	(1+2+3+6) का योग	(1+2+3+4+6) का योग	ए में वर्गों (1+2+3+6) के अंतर्गत टियर-I पूंजी के प्रतिशत के तौर पर अभिव्यक्त उधारियां	ए में वर्गों (1+2+3+4+6) के अंतर्गत टियर-I पूंजी के प्रतिशत के तौर पर अभिव्यक्त उधारियां	
5	6	7	8	9	10	

नोट:*1- रिपोर्ट की तारीख पर भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयॉर्क क्लोसिंग दरों को रूपांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाए।

@ 2. 24 मार्च 2004 के परिपत्र सं. 81 के पैरा 4 के एपी (डीआईआर सीरीज) द्वारा सुविधा को वापस लिया गया।

अनुबंध X

[भाग ए, खंड I, परिच्छेद 1 (ii) (जी) देखें]

विगत प्रदर्शन के आधार पर वायदा अनुबंधों की बुकिंग-

.... की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट

बैंक का नाम-

(यूएसडी मिलियन में)

माह के दौरान कुल आबंटित सीमा (1)	आबंटित संचयी सीमाएं (2)	बुक हुए अनुबंधों की राशियां (3)			प्रयुक्त राशि (दस्तावेज़ों की सुपुर्दगी) (4)			निरस्त हुए वायदा अनुबंधों की राशि (5)		
		वायदा संविदा	एफ़सीवाई/ आईएनआर ऑप्शन	पारस्परिक मुद्रा ऑप्शन	वायदा संविदा	एफ़सीवाई/ आईएनआर ऑप्शन	पारस्परिक मुद्रा ऑप्शन	वायदा संविदा	एफ़सीवाई/ आईएनआर ऑप्शन	पारस्परिक मुद्रा ऑप्शन

रिपोर्ट के दिनांक तक विगत निष्पादन सुविधा का उपयोग करने वालों की संख्या: ----------

नोट:

1. बैंक की स्थिति समग्र रूप से दर्शाई जाए।

2. स्तंभ संख्या 2, 3, 4 और 5 में दर्शाई गई संख्या वर्ष के दौरान की संचयी स्थिति होगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि को आगे बढ़ाया जाएगा और अगले वर्ष की सीमा के लिए संज्ञान में लिया जाएगा और इसलिए अगले वर्ष के लिए अर्ह सीमा की गणना करते समय इसे शामिल किया जाएगा।

अनुबंध XI

[भाग ए, खंड I, पैराग्राफ 5 ए (i)] देखें]

ए. [7]अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों / बाज़ारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज / बाजार में किसी भी वस्तु (सोना, प्लेटिनम और चांदी को छोड़कर) के संबंध में मूल्य जोखिम से बचाव की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

यदि आवश्यक हुआ तो, रिज़र्व बैंक किसी भी बैंक को दी गई अनुमति को वापस लेने का अधिकार रखता है।

2. कॉरपोरेट्स को हेज लेनदेन करने की अनुमति देने से पहले, अधिकृत डीलर को उनसे एक बोर्ड संकल्प प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिसमें यह उल्लेख हो (i) कि बोर्ड इन लेन-देनों में शामिल जोखिमों को समझता है, (ii) आगामी वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट द्वारा किए जाने वाले हेज लेनदेन की प्रकृति, और (iii) कंपनी हेज लेनदेन केवल वहीं करेगी जहां उसे मूल्य के संबंध में जोखिम हो।

3. वस्तुओं के आयात/निर्यात पर जोखिम के परिप्रेक्ष्य में असूचीबद्ध कंपनियों को मूल्य के संबंध में हेज लेनदेन करने की अनुमति देने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी को उनसे प्रस्तावित हेजिंग रणनीति का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि:

• व्यावसायिक गतिविधि और जोखिम की प्रकृति का विवरण,

• हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित लिखत,

• कमोडिटी एक्सचेंजों और दलालों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम की हेजिंग प्रस्तावित है और क्रेडिट लाइन प्राप्त करना प्रस्तावित है। संबंधित देश के नियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जाए,

• आकार / एक्सपोजर की औसत अवधि और/या एक वर्ष में कुल टर्नओवर, साथ में उसके कारण अपेक्षित अधिकतम स्थिति और गणना का आधार।

इसके साथ प्रबंधतंत्र द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति की एक प्रति के साथ जिसमें निम्नलिखित को शामिल हो;

• जोखिम की पहचान

• जोखिम माप

[7] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 68 दिनांक 17 जनवरी 2012

• पोजीशन के पुनर्मूल्यांकन और/या पोजीशन को निगरानी के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं

• लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम एवं सीमाएं

4. यदि लेन-देन की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह हो या कॉर्पोरेट मूल्य जोखिम के अधीन नहीं हो तो प्राधिकृत व्यापारी किसी भी हेज लेनदेन को करने से इंकार कर सकते हैं। शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत व्यापारी हेजिंग की अनुमति देंगे और लेनदेन की निगरानी के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों/बाजारों में आंतरिक बिक्री/खरीद संव्यवहार पर मूल्य जोखिम की हेजिंग, भले ही घरेलू कीमत वस्तु की अंतरराष्ट्रीय कीमत से जुड़ी हुई हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित किए जा सकने वाले कुछ निर्दिष्ट लेनदेन को छोड़कर, की अनुमति नहीं है। ग्राहकों को उनकी हेजिंग गतिविधि शुरू करने से पहले जरूरी सलाह दी जाएगी।

5. प्राधिकृत व्यापारी बैंक हर साल 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार, एक महीने के भीतर, जिन कॉरपोरेट्स को उन्होंने कमोडिटी हेजिंग की अनुमति दी है उनका नाम देते हुए और हेज की गई कमोडिटी का नाम बताते हुए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुंबई - 400 001 को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं

6. हेज लेनदेन करने के लिए ऐसे ग्राहकों के आवेदन जो प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत कवर नहीं किए गए हैं, प्राधिकृत डीलर श्रेणी I द्वारा अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करना जारी रख सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज / बाजार में हेजिंग लेनदेन करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश

1. हेज लेनदेन का उद्देश्य जोखिम नियंत्रण करना होगा। केवल ऑफ-सेट हेज को ही अनुमति है।

2. सभी मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद) अनुमन्य हैं। यदि जोखिम प्रोफाइल के अनुसार जरूरी है, तो कॉर्पोरेट / फर्म ओटीसी अनुबंधों का भी उपयोग कर सकता है । ऑप्शंस की एक साथ खरीद और बिक्री को समावेशित करते हुए, ओपशंस रणनीतियों के संयोजन का उपयोग भी अनुबंध XVII में विस्तृत रूप से उल्लिखित दिशानिर्देशों के अधीन, कॉर्पोरेट/फर्म के लिए भी खुला है बशर्ते प्रीमियम का प्रत्यक्ष या निहित शुद्ध प्रवाह नहीं होता है। कॉरपोरेट्स/फर्मों को उसी ब्रोकर के साथ विपरीत लेन-देन करते हुए एक ऑप्शन पोजीशन रद्द करने की अनुमति है।

3. कॉर्पोरेट/फर्म को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास एक विशेष खाता खोलना होगा। हेजिंग से संबंधित सभी भुगतान/प्राप्तियां श्रेणी- I इस खाते के माध्यम से, रिज़र्व बैंक को आगे संदर्भित किए बिना, प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रभावित की जा सकती हैं।

4. ब्रोकर की मासिक-अंत रिपोर्ट की एक प्रति, जिसकी विधिवत पुष्टि/प्रतिहस्ताक्षर कॉर्पोरेट के वित्तीय नियंत्रक द्वारा किया गया हो, को बैंक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अपतटीय पोजीशन भौतिक जोखिम द्वारा समर्थित हैं/थे।

5. दलालों द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण, विशेष रूप से वे जो बुक किए गए लेनदेन और बंद किए गए अनुबंध और निपटान में देय/देय राशि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं, उनकी कॉर्पोरेट/फर्म द्वारा जाँच की जानी चाहिए। असमायोजित मदों के बारे दलाल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और पुनर्मिलन तीन महीने के भीतर हो जाना चाहिए।

6. कॉर्पोरेट /फर्म को कोई अंतरपणन /सट्टा लेनदेन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में लेनदेन की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I की होगी।

7. कंपनी/फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त वार्षिक प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को प्रस्तुत किया गया है। प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करता हो कि निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन किया जा रहा है और कॉर्पोरेट/फर्म का आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक है। इन प्रमाणपत्रों को आंतरिक ऑडिट/निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड में रखा जाए।

बी. कच्चे तेल की घरेलू शोधन कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. इस अनुबंध के (ए) और (बी) में दी गई शर्तों और दिशा-निर्देशों के अधीन हेजिंग केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से की जानी है।

2. उपरोक्त हेजिंग सुविधाएं देते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने जोखिमों की हेजिंग कर रही घरेलू कच्चे तेल की शोधन करने वाली कंपनियां निम्नानुसार अनुपालन कर रही हैं:

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों का होना जो उस समग्र ढांचे को परिभाषित करती हैं जिसके अंतर्गत डेरिवेटिव गतिविधियाँ की जाती हैं और जोखिमों को नियंत्रित किया जाना है।
- विशिष्ट गतिविधि के लिए और साथ ही ओटीसी बाजारों में लेनदेन करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है;
- बोर्ड के अनुमोदन में स्पष्ट रूप से मार्क-टू-मार्केट नीति और ओटीसी डेरिवेटिव आदि के अनुमत प्रतिपक्ष शामिल होने चाहिए;
- घरेलू कच्चे तेल कंपनियां अर्धवार्षिक आधार पर ओटीसी लेनदेन की सूची को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसे इस योजना के तहत हेजिंग सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति देने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. दिनांक 2 नवंबर 2011 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 के पैरा 8.3 में दिए गए 'डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशानिर्देश' के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को "उपयोगकर्ता उपयुक्तता" और ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेजिंग उत्पादों की "अनुकूलता" भी निश्चित करनी चाहिए।

अनुबंध XII

अनुमोदन मार्ग

भारत में निवासी जो आयात और निर्यात व्यापार था ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो अन्यथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज / बाजार में सभी वस्तुओं के मूल्य जोखिम को हेज कर सकते हैं। कंपनियों/फर्मों की कमोडिटी हेजिंग के लिए आवेदन, जो अधिकृत डीलर श्रेणी 1 के प्रत्यायोजित प्राधिकरण द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, उन्हें निम्नलिखित विवरण देते हुए विशिष्ट सिफारिश के साथ एडी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विचार के लिए रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाए:

1. प्रस्तावित हेजिंग रणनीति का एक संक्षिप्त विवरण, अर्थात्:

व्यावसायिक गतिविधि और जोखिम की प्रकृति का विवरण,

हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण,

कमोडिटी एक्सचेंजों और दलालों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम को हेज करने का प्रस्ताव है और क्रेडिट लाइन उठाने का प्रस्ताव है। संबंधित देश में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता,

एक्सपोजर का आकार/औसत कार्यकाल और/या किसी वर्ष में कुल, उसके अपेक्षित शीर्ष पोजीशनों और गणना का आधार भी दिया जाए।

2. प्रबंध तंत्र द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति की एक प्रति जो निम्नलिखित को समावेशित करती हो;

जोखिम पहचान

जोखिम मापन

पोजीशनों के पुनर्मूल्यांकन और / या पोजीशनों की निगरानी के संबंध में अनुपालन हेतु दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं

लेनदेन शुरू करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम और पद और सीमाएं

3. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

इस गतिविधि को शुरू करने के लिए दिशानिर्देशों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एकबारगी मंजूरी दी जाएगी।

अनुबंध XIII

[भाग ए, खंड II, पैराग्राफ 1 देखें]

विवरण – एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) ग्राहकों द्वारा किए गए वायदा कवर का विवरण

माह -

भाग ए - बकाया वायदा कवर (पुनर्बुकिंग के बिना) का ब्योरा

एफआईआई का नाम

वर्तमान बाजार मूल्य (मिलियन यूएसडी)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदा		निरस्त वायदा संविदा		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष दर तारीख	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष दर तारीख	

भाग बी - निरस्त करने और पुनः बुक करने के लिए अनुमत लेनदेन का विवरण

एफआईआई का नाम

वर्ष की शुरुआत में निर्धारित बाजार मूल्य (मिलियन यूएसडी)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदा		निरस्त वायदा संविदा		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष दर तारीख	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष दर तारीख	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

दिनांक :

मुहर :

अनुबंध XIV

[भाग डी, पैराग्राफ (x) देखें]

विवरण – बुक की गई और निरस्त की गई वायदा संविदाओं का विवरण

समाप्त तिमाही के लिए-

(यूएसडी मिलियन)

वर्ग	**बुक की गई वायदा संविदा**		**वायदा संविदा निरस्त**	
	तिमाही के दौरान	**संचयी योग - वर्ष दर तारीख**	**तिमाही के दौरान**	**संचयी योग - वर्ष दर तारीख**
एसएमई				
व्यक्ति				

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

दिनांक :

मुहर :

[एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 15, दिनांक 29 अक्तूबर 2007]
[भाग ए, खंड I, पैरा 1(iv)(डी) देखें]

निवासी व्यक्तियों द्वारा 100,000 अमरीकी डालर तक की वायदा संविदाओं की बुकिंग के लिए आवेदन सह घोषणा

(आवेदक द्वारा पूर्ण किया जाना है)

I. आवेदक का विवरण

क. नाम ....

ख. पता..............................

ग. खाता क्रमांक..........................

घ. पैन नंबर ....

II. आवश्यक विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का विवरण

1. राशि (मुद्रा जोड़ी निर्दिष्ट करें) ....
2. कार्यकाल ....

III. ....तारीख को बकाया वायदा संविदाओं का कल्पित मूल्य

IV. वास्तविक/प्रत्याशित विप्रेषणों का विवरण

1. राशि :
2. प्रेषण अनुसूची :
3. उद्देश्य :

घोषणा

मैं, .../ ....(आवेदक का नाम), इसके द्वारा घोषित करता/करती हूं कि --------------- (नामित शाखा) के साथ बुक की गई विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की कुल राशि ----------- भारत में ------------- (बैंक) यूएसडी 100,000/- (यूएस डॉलर एक लाख मात्र) की सीमा के भीतर है और प्रमाणित करता/करती हूं कि वायदा संविदा अनुमत चालू और/या पूंजीगत खाता लेनदेन के लिए है। मैं यह भी

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैंने किसी अन्य बैंक/शाखा के साथ विदेशी मुद्रा वायदा संविदा बुक नहीं किया है। मैंने विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की बुकिंग में निहित जोखिमों को समझ लिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक ....(आवेदक का नाम) जिसका पैन नंबर ……........................है, का खाता (सं.) .... दिनांक यह पुष्टि की जाती है कि हमने उसकी .... * से हमारे पास है। हम प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक आरबीआई द्वारा निर्धारित एएमएल / केवाईसी दिशानिर्देशों को पूरा करता है और अपेक्षित योग्यता और उपयुक्तता परीक्षण किए जाने की जांच है।

अधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक: मुहर *माह/वर्ष

अनुबंध XVI

[एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 35, दिनांक 10 नवंबर 2008]

[भाग ए, खंड I, पैराग्राफ 5 देखें]

आयाती साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने के लिए शर्तें/दिशा-निर्देश – पण्य जोखिम बचाव संबंधी लेनदेन

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल तभी गारंटियां/आयाती साख पत्र जारी कर सकते हैं जहां विप्रेषण प्रत्यायोजित प्राधिकारी के अंतर्गत या रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी पण्य जोखिम बचाव व्यवस्था के लिए प्रदान किए गए विशिष्ट अनुमोदन के तहत कवर किया गया हो।

2. जारीकर्ता बैंक के पास इस तरह के लेनदेन के लिए बैंक द्वारा लिए जा सकने वाले जोखिमों की प्रकृति और एक्सपोजर की सीमा पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए और यह ग्राहकों के क्रेडिट एक्सपोजर का हिस्सा होना चाहिए। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए एक्सपोजर पर जोखिम भार भी लगाया जाना चाहिए।

3. कंपनी की स्वीकृत पण्य जोखिम बचाव गतिविधियों के संबंध में मार्जिन राशि के भुगतान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयाती साख पत्र / बैंक गारंटी जारी की जा सकती है।

4. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विशिष्ट प्रतिपक्ष को किए गए मार्जिन भुगतान की राशि से अधिक न हो ऐसी राशि के लिए अतिरिक्त साख पत्र / बैंक गारंटी जारी की जा सकती है।

5. ग्राहक को उपलब्ध गैर-निधिक सुविधा (साख पत्र/बैंक गारंटी सीमा) पर ग्रहणाधिकार अंकित करने के बाद, क्रेडिट/बैंक गारंटी का आयाती साख पत्र अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है।

6. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी पण्य बचाव के लिए दिशानिर्देशों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

7. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि दलाल की महीने के अंत की रिपोर्ट कॉर्पोरेट के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टिकृत/प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तुत की गई है।

8. माह के अंत में दलाल की रिपोर्ट को बैंक द्वारा नियमित रूप से सत्यापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अपतटीय स्थिति भौतिक एक्सपोजर द्वारा समर्थित हैं/थे।

अनुबंध XVII

उपयोगकर्ताओं को ओटीसी आप्शन रणनीतियों के संयोजन में प्रवेश करने की अनुमति देने की शर्तें जिसमें विदेश में पण्य जोखिम बचाव के लिए आप्श्ंस की एक साथ खरीद और बिक्री शामिल है

उपयोगकर्ता - सूचीबद्ध कंपनियाँ और उनकी सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी जिनके पास सामान्य भंडार और समेकित तुलनपत्र या असूचीबद्ध कंपनियाँ हैं जिनकी न्यूनतम निवल मालियत रु 200 करोड़ हैं।

बशर्ते

ए. ऐसे सभी उत्पाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के हैं;

बी. कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों और ऐसे उत्पादों/संविदाओं के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अन्य लागू दिशानिर्देशों का पालन करती हैं, साथ ही विवेकपूर्ण सिद्धांत का भी पालन करती हैं, जिसके लिए संभावित हानि की पहचान और अप्राप्त अभिलाभ की अमान्यता की अपेक्षा होती है;

सी. 2 दिसंबर 2005 को आईसीएआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किए गए हैं; और

डी. कंपनियों के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है, इस नीति में एक विशिष्ट खंड है जो लागत में कमी की करने के विन्यास के विभिन्न प्रकार के उपयोग करने की अनुमति देती है।

(टिप्पणी: उपरोक्त लेखांकन प्रबंध एएस 30/32 या समकक्ष मानकों को अधिसूचित किए जाने तक एक अस्थायी व्यवस्था है।)"

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए. उपयोगकर्ताओं द्वारा आप्श्ंस को एकल आधार पर लेखन की अनुमति नहीं है। हालांकि, उपयोगकर्ता लागत घटाने के विन्यास के हिस्से के रूप में आप्श्ंस लिख सकते हैं, बशर्ते कि प्रीमियम की कोई निवल प्राप्ति न हो।

बी. लीवरेज संरचनाएं, डिजिटल आप्शंस, बैरियर आप्शंस और अन्य किसी भी प्रकार के विदेशी उत्पादों की अनुमति नहीं है।

सी. शर्त पत्रक में आप्शंस के डेल्टा को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।

डी. अंतर्निहित के प्रयोजन के लिए विन्यास के सबसे बड़े कल्पित भाग की गणना की जानी चाहिए।

ई. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक परिचालन के पैमाने और उपयोगकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जैसे निरंतर लाभप्रदता आदि निर्धारित कर सकते हैं।

अनिवासी निर्यातक/आयातक के संबंध में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) फॉर्म

अनिवासी निर्यातक/आयातक का पंजीकृत नाम (नाम, यदि अनिवासी निर्यातक/आयातक एक व्यक्ति है)	
पंजीकरण संख्या (विशिष्ट पहचान संख्या * यदि अनिवासी निर्यातक/आयातक एक व्यक्ति है)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता यदि अनिवासी निर्यातक / आयातक एक व्यक्ति है)	
अनिवासी निर्यातक/आयातक के बैंक का नाम	
अनिवासी निर्यातक / आयातक का बैंक खाता संख्या	
अनिवासी निर्यातक/आयातक के साथ बैंकिंग संबंध की अवधि	

* पासपोर्ट संख्या, सामाजिक सुरक्षा संख्या, या अनिवासी निर्यातक/आयातक के देश में प्रचलित अनिवासी निर्यातक/आयातक की वास्तविकता को प्रमाणित करने वाली कोई विशिष्ट संख्या

हम पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निर्यातक/आयातक के विदेशी विप्रेषिती बैंक द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सभी जानकारी सत्य और सही है।

एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

मुहर:

[8] एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 3 दिनांक 21 जुलाई 2011

[9]अनुबंध XIX

अनिवासी आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए डेरिवेटिव (व्युत्पन्नी) लेनदेन की रिपोर्टिंग - ----------------------------को समाप्त तिमाही के लिए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम –

सुविधा का लाभ उठाने वाले अनिवासी आयातक/निर्यातक की संख्या		डेरिवेटिव लेनदेन की कुल राशि (रुपये करोड़)	
आयातक	निर्यातक	वायदा (फारवाड्र्स)	विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया आप्शंस

[9] एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 3 दिनांक 21 जुलाई 2011

[10]अनुबंध XX

विदेशी आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग -
.....................................की समाप्त तिमाही के लिए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम -

क्रम सं.	अनिवासी निर्यातक/आयातक का नाम	विदेशी बैंक का नाम (मॉडल I के मामले में)	अंतर्निहित व्यापार लेनदेन और संबद्ध राशि को निरस्त करने के साथ-साथ निरस्त किए गए डेरिवेटिव लेनदेन की संख्या	एडी श्रेणी I बैंक द्वारा की गई कार्रवाई

[10] एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 3 दिनांक 21 जुलाई 2011

परिशिष्ट ix

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची

क्रम संख्या	अधिसूचना/परिपत्र	दिनांक
1.	अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी	3 मई, 2000
2.	अधिसूचना संख्या फेमा 28/2000-आरबी	5 सितम्बर, 2000
3.	अधिसूचना संख्या फेमा 54/2002-आरबी	5 मार्च, 2002
4.	अधिसूचना संख्या फेमा 66/2002-आरबी	27 जुलाई, 2002
5.	अधिसूचना संख्या फेमा 70/2002-आरबी	26 अगस्त, 2002
6.	अधिसूचना संख्या फेमा 81/2003-आरबी	8 जनवरी, 2003
7.	अधिसूचना संख्या फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्तूबर, 2003
8.	अधिसूचना संख्या फेमा 104/2003-आरबी	21 अक्तूबर, 2003
9.	अधिसूचना संख्या फेमा 105/2003-आरबी	21 अक्तूबर, 2003
10.	अधिसूचना संख्या फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी, 2005
11.	अधिसूचना संख्या फेमा 143/2005-आरबी	19 दिसम्बर, 2005
12.	अधिसूचना संख्या फेमा 147/2006-आरबी	16 मार्च, 2006
13.	अधिसूचना संख्या फेमा 148/2006-आरबी	16 मार्च, 2006
14.	अधिसूचना संख्या फेमा 159/2007-आरबी	17 सितंबर, 2007
15.	अधिसूचना संख्या फेमा 177/2008-आरबी	1 अगस्त, 2008
16.	अधिसूचना संख्या फेमा 191/2009-आरबी	20 मई, 2009
17.	अधिसूचना संख्या फेमा 201/2009-आरबी	5 नवंबर, 2009

18.	अधिसूचना संख्या फेमा 210/2010-आरबी	19 जुलाई, 2010
1.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92	4 अप्रैल, 2003
2.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 93	5 अप्रैल, 2003
3.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 98	29 अप्रैल, 2003
4.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 108	21 जून, 2003
5.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 28	17 अक्तूबर, 2003
6.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 46	9 दिसंबर, 2003
7.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	12 दिसम्बर, 2003
8.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 81	24 मार्च, 2004
9.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 26	1 नवंबर, 2004
10.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	23 जून, 2005
11.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 03	23 जुलाई, 2005
12.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 25	6 मार्च, 2006
13.	ईसी.सीओ.एफएमडी। सं.8/02.03.75/2002-03	4 फरवरी, 2003
14.	ईसी.सीओ.एफएमडी। सं.14/02.03.75/2002-03	9 मई, 2003
15.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.345/02.03.129(नीति)/2003-04	5 नवंबर, 2003
16.	एफई.सीओ.एफएमडी.1072/02.03.89/2004-05	8 फरवरी, 2005
17.	एफई.सीओ.एफएमडी। 2/02.03.129(नीति)/2005-06	7 नवंबर, 2005
18.	एफई.सीओ.एफएमडी 21921/02.03.75/2005-06	17अप्रैल, 2006

19.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.21	13 दिसम्बर, 2006
20.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.22	13 दिसम्बर, 2006
21.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32	8 फरवरी, 2007
22.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.52	08 मई, 2007
23.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.66	31 मई, 2007
24.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.76	19 जून, 2007
25.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 15	29 अक्तूबर, 2007
26.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17	6 नवंबर, 2007
27.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.47	3 जून, 2008
28.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05	6 अगस्त, 2008
29.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.23	15 अक्तूबर, 2008
30.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.35	10 नवंबर, 2008
31.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 50	4 फ़रवरी, 2009
32.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.27	19 जनवरी, 2010
33.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05	30 जुलाई, 2010
34.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32	28 दिसम्बर, 2010
35.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 60	16 मई, 2011
36.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.67	20 मई, 2011
37.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.68	20 मई, 2011
38.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.3	21 जुलाई, 2011

39.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 50	23 नवंबर, 2011
40.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.58	15 दिसंबर, 2011
41.	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.63	29 दिसंबर, 2011
42.	एपी(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.68	17 जनवरी, 2012

इस परिपत्र को फेमा, 1999 और इसके तहत जारी नियमों/विनियमों/निर्देशों/आदेशों/अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए।